



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक संवत्) [संख्या 23

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	295—306	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	355—394	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	1—12	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि		
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग-1

सेवानिवृत्त

12 फरवरी, 2024 ई0

सं0 I/493822/2024—सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2024 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
(सर्वश्री / श्रीमती)–				
1.	अशोक कुमार	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	05.03.1964	31.03.2024
2.	जगदीप वर्मा	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	01.08.1964	31.07.2024
3.	देवीशरण	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	27.05.1964	31.05.2024
4.	बृजकिशोर त्रिपाठी	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	01.08.1964	31.07.2024
5.	प्रभात कुमार श्रीवास्तव	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	15.03.1964	31.03.2024
6.	अरविन्द कुमार यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	21.03.1964	31.03.2024
7.	लाल जी सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.12.1964	30.11.2024
8.	गऊदीन सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	31.08.1964	31.08.2024
9.	सुरेश कुमार	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	30.09.1964	30.09.2024
10.	अनुराग कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	02.01.1964	31.01.2024
11.	परमानन्द सिंह यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	02.07.1964	31.07.2024
12.	कन्हैया लाल	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.07.1964	30.06.2024
13.	सुषमा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15.11.1964	30.11.2024
14.	हरिमोहन सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	31.07.1964	31.07.2024
15.	घनश्याम	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	10.02.1964	29.02.2024

1	2	3	4	5
(सर्वश्री / श्रीमती)–				
16.	शिव कुमार मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	20.06.1964	30.06.2024
17.	ओम प्रकाश यादव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	01.07.1964	30.06.2024
18.	सुशील कुमार श्रीवास	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	31.12.1964	31.12.2024
19.	ज्ञानेन्द्र सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	07.03.1964	31.03.2024

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग-2

पदोन्नति / तैनाती

01 मार्च, 2024 ई०

सं० I/509024/2024—श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के समूह 'क' ग्रेड वेतन रु० 7,600/- (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल 12, रु० 78,800—2,09,200) के अधिकारी श्री अनिल कुमार जैन, संयुक्त निदेशक को चयन वर्ष 2023-24 में दिनांक 01 मार्च, 2024 को रिक्ति की उपलब्धता के फलस्वरूप विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ०प्र०, प्रयागराज के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ग्रेड वेतन रु० 8,900/- (पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13 क, रु० 1,31,100—2,16,600) में नियमित रूप से पदोन्नति / तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पदोन्नति / तैनाती मा० न्यायालयों / मा० अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं / निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3— श्री अनिल कुमार जैन द्वारा अपने पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

04 मार्च, 2024 ई०

सं० I/511524/2024—श्री भगवान प्रसाद तत्कालीन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, उन्नाव सम्प्रति सेवानिवृत्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के विरुद्ध सहकारी समितियां एवं पंचायत, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 12 जून, 2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को मुख्यालय के आदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 द्वारा

“परिनिन्दित करते हुए” अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी। मुख्यालय के उक्त आदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के विरुद्ध श्री भगवान प्रसाद द्वारा शासन में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

2— शासन के उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 एवं मुख्यालय आदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के विरुद्ध श्री भगवान प्रसाद द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में निर्देश याचिका संख्या-102/2020 भगवान प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 27 मई, 2022 निम्नलिखित आदेश पारित किये गये—

“उपरोक्त तथ्यों के आलोक में याची की याचिका स्वीकार की जाती है। याची के विरुद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 26 अक्टूबर, 2018 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 अपासत किये जाते हैं। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि याची के पदोन्नति के प्रकरण में उसके कनिष्ठों को प्रदान की गयी पदोन्नति के तिथि अर्थात् दिनांक 05 अगस्त, 2019 से उसे उच्च पद पर प्रोन्नति हेतु विचार कर समतुल्य लाभ प्रदान करें।”

3— मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश दिनांक 27 मई, 2022 पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के दौरान श्री प्रसाद द्वारा मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में अवमानना याचिका संख्या-244/2022 भगवान प्रसाद बनाम प्रशान्त त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन दाखिल की गयी। इस सम्बन्ध में श्री अजय कुमार सिंह, स्थायी अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2022 को निम्नलिखित विधिक राय दी गयी—

"..... As such I am of the considered opinion that the filing of writ petition against the said judgement and order dated 27.05.2022 passed by the learned State Public Services Tribunal, Indira Bhawan, Lucknow in the Claim Petition No. 102 of 2020 (Bhagwan Prasad *versus* State of U.P. and others) would not be feasible and appropriate.

It is further advised that the opinion of Law Department of the State of U.P. may also be taken before proceeding ahead. The legal opinion is accorded accordingly."

4— उक्त विधिक राय एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के परामर्श के उपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में योजित निर्देश याचिका संख्या-102/2020 में पारित निर्णय दिनांक 27 मई, 2022 के विरुद्ध विशेष अपील योजित न किये जाने तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27 मई, 2022 का अनुपालन करने का निर्णय लिया गया।

5— अतः मा0 लोक सेवा अधिकरण के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत श्री भगवान प्रसाद, सेवानिवृत्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हेतु दिनांक 05 अगस्त, 2019 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए जिला लेखा परीक्षा के 01 अधिसंख्य पद सृजित किये जाने के श्री राजपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

पदोन्नति/तैनाती

12 मार्च, 2024 ई0

सं0 I/517332/2024—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के अनुसार सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रुपये 56,100 से 1,77,500/-) के पद पर नियमित रूप से

पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लेखित रिक्त जनपद/संस्था में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है—

क्रमांक	अधिकारियों के नाम	गृह जनपद	पदस्थापन/तैनाती
1	2	3	4
	(सर्वश्री/श्रीमती)–		
1	संजय कुमार कश्यप	सीवान, बिहार	सहारनपुर
2	भीमसेन भाटिया	करनाल	बिजनौर
3	मनोज कुमार त्रिपाठी	प्रतापगढ़	सीतापुर
4	राजीव कुमार उपाध्याय	फैजाबाद	कानपुर नगर
5	जय सिंह	फतेहपुर	सहकारी दुग्ध संघ, प्रयागराज
6	संजय कुमार पाण्डेय	प्रयागराज	वाराणसी
7	प्रकाश कुमार चौबे	बक्सर, बिहार	हाथरस
8	सरोज कुमार झा	दरभंगा, बिहार	अमेठी
9	अनिल कुमार सिंह	सुल्तानपुर	बस्ती
10	अजय कुमार सिंह	गोपालगंज, बिहार	सिद्धार्थनगर
11	विमल चन्द्र शर्मा	आगरा	हापुड़
12	केशव कुमार	सुल्तानपुर	बलरामपुर
13	सुजीत कुमार शर्मा	खगड़िया, बिहार	उरई, जालौन
14	सजल कुमार	बिहार	मुजफ्फरनगर
15	अरविन्द श्रीवास्तव	फैजाबाद	बाराबंकी
16	मनीष कुमार शरण,	गया, बिहार	अयोध्या
17	मनीष रस्तोगी	लखनऊ	बरेली
18	राजीव रंजन	बिहार	सहकारी समिति एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय (मुख्यालय)
19	अजय सिंह	जौनपुर	सुल्तानपुर
20	अश्वनी कुमार शुक्ला	अम्बेडकरनगर	औरैया
21	धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा	बिहार	सम्भल
22	नवीन कुमार	पटना	सोनभद्र
23	प्रशान्त कुमार चौबे	बक्सर, बिहार	मथुरा

1	2	3	4
	(सर्वश्री / श्रीमती)–		
24	राजीव कुमार	पटना, बिहार	अलीगढ़
25	संजय कुमार	बिहार	लखनऊ
26	मो० सुल्तान अंसारी	पटना	मैनपुरी
27	मनोरंजन घोष	मुजफ्फरपुर, बिहार	सहकारी दुग्ध संघ, वाराणसी
28	भूपेन्द्र बीर सिंह	आजमगढ़	मीरजापुर
29	रमेश चन्द्र श्रीवास्तव	चन्दौली	प्रयागराज
30	सत्य नारायण (दिव्यांग)	वाराणसी	सहकारी दुग्ध संघ, आजमगढ़

2— उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

3— उक्त पदोन्नत अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती जनपद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ०प्र० को उपलब्ध करायेंगे।

4— उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5— उक्त अधिकारियों को अगले माह का वेतन उनकी नवीन तैनाती स्थान से आहरित होगा।

सेवानिवृत्ति

24 जून, 2024 ई०

सं० I/670720/2024—सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा, उ०प्र०, लखनऊ के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2024 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री अनिल कुमार वर्मा	उप निदेशक, उ०प्र० सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, लखनऊ	01.01.1965	31.12.2024

कार्यालय-स्थानान्तरित

28 जून, 2024 ई०

सं० आडिट-1-111/दस-2024-320(1)/2024—तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री नसीर अहमद, उप मुख्य लेखा परीक्षा

अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, गोरखपुर मण्डल को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, कानपुर मण्डल के पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्री नसीर अहमद को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 आडिट-1-111(1)/दस-2024-320(1)/2024—तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, चित्रकूट मण्डल को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, पी0सी0यू0, लखनऊ के पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित संस्था में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 आडिट-1-111(2)/दस-2024-320(1)/2024—तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री राजेश कुमार पाण्डेय, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, अयोध्या मण्डल को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, प्रादेशिक राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ के पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्री राजेश कुमार पाण्डेय को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित संस्था में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 आडिट-1-111(3)/दस-2024-320(1)/2024—तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती कान्ती सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, कानपुर मण्डल को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, गोरखपुर मण्डल के पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्रीमती कान्ती सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

सं0 आडिट-1-111(4)/दस-2024-320(1)/2024—तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री संजीव कुमार, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, बरेली मण्डल को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, चित्रकूटधाम मण्डल के पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्री संजीव कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सं0 आडिट-1-111(5)/दस-2024-320(1)/2024—तत्काल प्रभाव से जनहित/कार्यहित में उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री अशोक कुमार मिश्र, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, प्रादेशिक राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, अयोध्या मण्डल के पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्री अशोक कुमार मिश्र को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

कार्यालय/तैनाती

30 जून, 2024 ई0

सं0 आडिट-2-11/दस-2024-10-25001(099)/15/2022—4—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत श्री शरद नारायण मिश्र, उप निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती को जनहित/शासकीय हित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए उप निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण के फलस्वरूप श्री शरद नारायण मिश्र, उप निदेशक को उप निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार भी एतद्वारा प्रदान किया जाता है।

2— श्री शरद नारायण मिश्र तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज एवं उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3— श्री शरद नारायण मिश्र, उप निदेशक को उप निदेशक, बस्ती मण्डल, बस्ती के अतिरिक्त प्रभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सं0 आडिट-2-12/दस-2024-10-25001(099)/15/2022-4-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत श्रीमती शिप्रा कुमारी सिंह, उप निदेशक, मुख्यालय सम्बद्ध विशेष कार्याधिकारी, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को स्व-अनुरोध पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुए विशेष कार्याधिकारी, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्रीमती शिप्रा कुमारी सिंह तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए, कार्यभार प्रमाणक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज एवं उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेंगी।

सं0 आडिट-2-13/दस-2024-10-25001(099)/15/2022-4-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत श्री रत्नेश्वर भारती, उप निदेशक, सम्प्रति लेखाधिकारी, लखनऊ वि0वि0, लखनऊ को प्रशासनिक आधार/शासकीय हित में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित करते हुये उप निदेशक, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के रिक्त पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- श्री रत्नेश्वर भारती तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुये, कार्यभार प्रमाणक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज एवं उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायेंगे।

01 अगस्त, 2024 ई0

सं0 I/707559/2024-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' के अधिकारी श्री विनोद कुमार मिश्र, उप निदेशक, वाराणसी मण्डल, वाराणसी को संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे रु0 7,600, पे मैट्रिक्स लेवल-12, वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुये निदेशालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- श्री विनोद कुमार मिश्र की उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-5354/2023 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम श्याम सिंह व अन्य तथा मा0 न्यायालय/मा0 अभिकरण में योजित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री विनोद कुमार मिश्र संयुक्त निदेशक के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन की उपलब्ध करायेंगे।

सं0 I/707560/2024-उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' के अधिकारी श्री अनिल कुमार सोनी, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ को संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे रु0 7,600, पे मैट्रिक्स लेवल-12, वेतनमान रु0 78,800-2,09,200) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए निदेशालय, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- श्री अनिल कुमार सोनी की उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-5354/2023 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम श्याम सिंह व अन्य तथा मा0 न्यायालय/मा0 अभिकरण में योजित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3- श्री अनिल कुमार सोनी संयुक्त निदेशक के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

पदोन्नति

05 अगस्त, 2024 ई०

सं० I/709709/2024—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री मनोज कुमार, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, हापुड़ को उप निदेशक/प्रधानाचार्य, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11, वेतनमान रु० 67,700/- से 2,08,700/-) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— श्री मनोज कुमार वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3— श्री मनोज कुमार की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० I/709714/2024—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री द्विजेश चन्द्र लाल, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी जो सम्प्रति गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक/प्रधानाचार्य, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11, वेतनमान रु० 67,700/- से 2,08,700/-) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— श्री द्विजेश चन्द्र लाल वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुये कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3— श्री द्विजेश चन्द्र लाल की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

सं० I/709718/2024—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री निसार अहमद, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी जो सम्प्रति निदेशालय समाज कल्याण, उ०प्र० लखनऊ में सम्परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप निदेशक/प्रधानाचार्य, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11, वेतनमान रु० 67,700/- से 2,08,700/-) पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— श्री निसार अहमद वर्तमान तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

3— श्री निसार अहमद की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव।

अनुभाग-1

स्थानान्तरित

16 अगस्त, 2024 ई०

सं० I/720132/2024—उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत श्री देवेश सिंह, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, यू०पी० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० (यू०पी०एस०एस०), लखनऊ द्वारा किये गये निजी अनुरोध के क्रम में तत्काल प्रभाव से श्री सिंह को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के रिक्त पद पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

2— श्री देवेश सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित मण्डल में तत्काल कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना शासन एवं निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

तैनाती

16 अगस्त, 2024 ई0

सं0 I/720134/2024—उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या-आडिट-1-123/दस-2024-315(2)/15, दिनांक 01 अगस्त, 2024 द्वारा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक (वेतन बैंड-15,600—39,100 ग्रेड पे 6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नत श्री अनन्य कुमार सिंह को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के रिक्त पद पर एतद्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है।

2. श्री अनन्य कुमार सिंह को निर्देशित किया जाता है कि अपने पदस्थापन/तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणिक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 I/720135/2024—उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या-आडिट-1-123/दस-2024-315(2)/15, दिनांक 01 अगस्त, 2024 द्वारा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक (वेतन बैंड-15,600—39,100 ग्रेड पे 6,600, मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नत श्री रवि कुमार श्रीवास्तव को उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, यू0पी0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 (यू0पी0एस0एस0), लखनऊ के रिक्त पद पर एतद्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है।

2. श्री रवि कुमार श्रीवास्तव को निर्देशित किया जाता है कि अपने पदस्थापन/तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणिक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

अनुभाग-2

तैनाती

04 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 I/733468/2024—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री अशोक कुमार मौर्य, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कानपुर नगर को उप निदेशक/प्रधानाचार्य, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11, वेतनमान रु0 67,700/- से 2,08,700/-) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने तथा प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— श्री अशोक कुमार मौर्य, प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुये कार्यभार प्रमाणिक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 I/733470/2024—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारी श्रीमती आकांक्षा गुप्ता, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर को उप निदेशक/प्रधानाचार्य, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर (ग्रेड पे 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11, वेतनमान रु0 67,700/- से 2,08,700/-) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुये उप निदेशक, कानपुर मण्डल, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, कानपुर के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— श्रीमती आकांक्षा गुप्ता, उप निदेशक, कानपुर मण्डल, कानपुर के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुये कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगी।

सेवानिवृत्ति

20 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 सं0 I/748540/2024—स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज के अन्तर्गत श्री तौहीद अहमद (जन्म तिथि 10 सितम्बर, 1964), जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, इटावा 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30 सितम्बर, 2024 के अपराह्न में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56(क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
पूर्ण देव उपाध्याय,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ०६ जून, २०२६ ई० (ज्येष्ठ १६, १९४८ शक संवत्)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 08, 2025

No. 145/Admin.(Services)/2025—Sri Abhishek Kumar Bagaria, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Aligarh in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Surendra Mohan Sahay.

No. 146/Admin.(Services)/2025—Sri Surendra Mohan Sahay, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Ayodhya.

No. 147/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Kumar Dubey-I, Additional District & Sessions Judge, Ayodhya to be Additional District & Sessions

Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Ghulam Mustafa.

No. 148/Admin.(Services)/2025—Sri Ghulam Mustafa, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rahul Singh-I.

No. 149/Admin.(Services)/2025—Sri Rahul Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Prayagraj.

No. 150/Admin.(Services)/2025—Sri Nirbhay Prakash, Additional District & Sessions Judge,

Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 151/Admin.(Services)/2025—Smt. Namrata Agrawal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gonda vice Sri Sarvjeet Kumar Singh.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Gonda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 152/Admin.(Services)/2025—Sri Sarvjeet Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 153/Admin.(Services)/2025—Sri Manoj Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lakhimpur Kheri vice Sri Anil Kumar-VIII.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lakhimpur Kheri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 154/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar-VIII, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 155/Admin.(Services)/2025—Sri Rishi Kumar, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 156/Admin.(Services)/2025—Sri Rajnesh Kumar, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Prayagraj.

No. 157/Admin.(Services)/2025—Sri Vikas Srivastava-II, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge

(Fast Track Court), Pratapgarh in the court created under 14th Finance Commission vice Smt. Sunita Singh Nagore.

No. 158/Admin.(Services)/2025—Smt. Sunita Singh Nagore, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh for trying cases of crime against women vice Ajay Kumar-I.

No. 159/Admin.(Services)/2025—Sri Ajay Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 160/Admin.(Services)/2025—Sri Virendra Nath Pandey, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 161/Admin.(Services)/2025—Sri Rajeeva Shukla, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 162/Admin.(Services)/2025—Smt. Anju Rajpoot, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh for trying cases of crime against women vice Sri Raghvendra Mani.

No. 163/Admin.(Services)/2025—Sri Raghvendra Mani, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bareilly in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Ravi Kumar Diwakar.

No. 164/Admin.(Services)/2025—Sri Ravi Kumar Diwakar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bareilly to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Chitrakoot in the court created under 14th Finance Commission.

No. 165/Admin.(Services)/2025—Smt. Nupur, Additional Principal Judge, Family Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 166/Admin.(Services)/2025—Sri Parvind Kumar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur for trying cases of crime against women vice Sri Sushil Kumar-IV.

No. 167/Admin.(Services)/2025—Sri Sushil Kumar-IV, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 168/Admin.(Services)/2025—Sri Gaurav Sharma, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghaziabad vice Sri Anil Kumar-IV.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ghaziabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 169/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar-IV, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 170/Admin.(Services)/2025—Km. Indu Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge, Kannauj.

No. 171/Admin.(Services)/2025—Sri Nand Kumar, Additional District & Sessions Judge, Kannauj to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 172/Admin.(Services)/2025—Sri Dhannjay Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kasganj in the

court created under 14th Finance Commission vice Sri Mohammad Arif-I.

No. 173/Admin.(Services)/2025—Sri Mohammad Arif-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kasganj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut for trying cases of crime against women vice Smt. Kalpana Chauhan.

No. 174/Admin.(Services)/2025—Smt. Kalpana Chauhan, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Vinay Kumar-II.

No. 175/Admin.(Services)/2025—Sri Vinay Kumar-II, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mathura in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Sushil Kumar-V.

No. 176/Admin.(Services)/2025—Sri Sushil Kumar-V, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mathura to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mathura for trying cases of crime against women vice Sri Vijay Kumar Singh.

No. 177/Admin.(Services)/2025—Sri Vijay Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 178/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Singh, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 179/Admin.(Services)/2025—Sri Raghuvir Singh Rathore, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) in the newly created court created vide G.O. No.

/2024/854/VII-Nyaya-2-2024-202(15)/76 dated 12.09.2024.

No. 180/Admin.(Services)/2025—Sri Alok Kumar, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 181/Admin.(Services)/2025—Smt. Neelam Dhaka, Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 182/Admin.(Services)/2025—Dr. (Smt.) Pallavi Agarwal, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mathura vice Sri Brahmatej Chaturvedi.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Mathura against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 183/Admin.(Services)/2025—Sri Brahmatej Chaturvedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 184/Admin.(Services)/2025—Sri Ajay Pal Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mathura for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Manoj Kumar Mishra-I.

No. 185/Admin.(Services)/2025—Sri Manoj Kumar Mishra-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Om Prakash Verma-III.

No. 186/Admin.(Services)/2025—Sri Om Prakash Verma-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be

Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Tarun Kumar Singh-I.

No. 187/Admin.(Services)/2025—Sri Tarun Kumar Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Farrukhabad vice Dr. Anil Kumar Singh-II.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Farrukhabad against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 188/Admin.(Services)/2025—Dr. Anil Kumar Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Farrukhabad in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rakesh Kumar Singh-I.

No. 189/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Kumar Singh-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Farrukhabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Barabanki vice Sri Nitish Kumar Rai.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Barabanki against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 190/Admin.(Services)/2025—Sri Nitish Kumar Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 191/Admin.(Services)/2025—Sri Umesh Chandra Pandey-II, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gorakhpur for trying

cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Smt. Deepa Rai.

No. 192/Admin.(Services)/2025—Smt. Deepa Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Lucknow.

No. 193/Admin.(Services)/2025—Sri Gyan Prakash Tiwari-II, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ballia vice Sri Mahesh Chandra Verma.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Ballia against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 194/Admin.(Services)/2025—Sri Mahesh Chandra Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ballia to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 195/Admin.(Services)/2025—Sri Harish Chandra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ballia to be Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi.

No. 196/Admin.(Services)/2025—Kumari Farida Begum, Additional Principal Judge, Family Court, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kaushambi for trying cases of crime against women vice Sri Vishnu Deo Singh.

No. 197/Admin.(Services)/2025—Sri Vishnu Deo Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 198/Admin.(Services)/2025—Sri Vimal Prakash Arya, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Balrampur to be Additional Principal Judge, Family Court, Jaunpur.

No. 199/Admin.(Services)/2025—Sri Vijay Kumar Gupta-I, Additional Principal Judge, Family

Court, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 200/Admin.(Services)/2025—Sri Satyendra Nath Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri vice Sri Jay Prakash.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Mainpuri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 201/Admin.(Services)/2025—Sri Jay Prakash, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri vice Smt. Indira Singh.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Mainpuri against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 202/Admin.(Services)/2025—Smt. Indira Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge, Mainpuri.

No. 203/Admin.(Services)/2025—Sri Gunandra Prakash, Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge, Raebareli.

No. 204/Admin.(Services)/2025—Sri Prabhat Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge, Prayagraj.

No. 205/Admin.(Services)/2025—Sri Suresh Kumar Gupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai.

No. 206/Admin.(Services)/2025—Sri Shiv Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 207/Admin.(Services)/2025—Sri Yash Pal Singh Lodhi, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 208/Admin.(Services)/2025—Sri OmPrakash-IX, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Meerut vice Sri Prahalad Singh-II.

No. 209/Admin.(Services)/2025—Sri Prahalad Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Hamirpur.

No. 210/Admin.(Services)/2025—Sri Pradeep Kumar Jayant, Additional District & Sessions Judge, Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge, Aligarh.

No. 211/Admin.(Services)/2025—Sri Sanjay Kumar Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Aligarh vice Sri Praveen Kumar Pandey.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Aligarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 212/Admin.(Services)/2025—Sri Praveen Kumar Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Aligarh to be Additional Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai.

No. 213/Admin.(Services)/2025—Smt. Amrita Shukla, Additional Principal Judge, Family Court, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Bareilly vice Sri Arvind Kumar Yadav-II.

No. 214/Admin.(Services)/2025—Sri Arvind Kumar Yadav-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional Principal Judge, Family Court, Mathura.

No. 215/Admin.(Services)/2025—Smt. Poonam Pathak, Additional Principal Judge, Family Court, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 216/Admin.(Services)/2025—Sri Hemant Kumar Kushwaha, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional Principal Judge, Family Court, Prayagraj.

No. 217/Admin.(Services)/2025—Smt. Rashmi Singh-I, Additional Principal Judge, Family Court, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 218/Admin.(Services)/2025—Sri Ram Avtar Prasad, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rakesh Kumar-VII.

No. 219/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Kumar-VII, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 220/Admin.(Services)/2025—Sri Vikash Singh, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun in the court created under 14th Finance Commission vice Smt. Mirza Zeenat.

No. 221/Admin.(Services)/2025—Smt. Mirza Zeenat, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun for trying cases of crime against women vice Sri Saurabh Saxena.

No. 222/Admin.(Services)/2025—Sri Saurabh Saxena, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 223/Admin.(Services)/2025—Smt. Pallavi Prakash, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Banda to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli for trying cases of crime against women vice Sri Sushil Kumar Verma.

No. 224/Admin.(Services)/2025—Sri Shushil Kumar Verma, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Vimal Tripathi.

No. 225/Admin.(Services)/2025—Sri Vimal Tripathi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli to be Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly.

No. 226/Admin.(Services)/2025—Smt. Suneeta Sharma, Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Etawah.

No. 227/Admin.(Services)/2025—Smt. Shweta Srivastava-I, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.

No. 228/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Kumar-XI, Additional Principal Judge, Family Court, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, Chandauli.

No. 229/Admin.(Services)/2025—Sri Vinay Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 230/Admin.(Services)/2025—Sri Rajesh Pati Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 231/Admin.(Services)/2025—Sri Subodh Varshney, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Etawah.

No. 232/Admin.(Services)/2025—Smt. Kalpana-II, Additional Principal Judge, Family Court, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 233/Admin.(Services)/2025—Sri Shailoj Chandra, Additional District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 234/Admin.(Services)/2025—Sri Subhash Singh, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 235/Admin.(Services)/2025—Sri Surendra Pal Singh, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 236/Admin.(Services)/2025—Sri Lokesh Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bhadohi at Gyanpur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Smt. Madhu Dogra.

No. 237/Admin.(Services)/2025—Smt. Madhu Dogra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 238/Admin.(Services)/2025—Sri Subodh Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bijnor vice Sri Ram Lal-II.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bijnor against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 239/Admin.(Services)/2025—Sri Ram Lal-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pratapgarh.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Pratapgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 240/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Bhartendu, Additional District & Sessions Judge, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bijnor for trying cases of crime against women vice Sri Khushter Danish.

No. 241/Admin.(Services)/2025—Sri Khushter Danish, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 242/Admin.(Services)/2025—Sri Alok Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etawah vice Sri Ajay Kumar Singh-II.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Etawah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 243/Admin.(Services)/2025—Sri Ajay Kumar Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar.

No. 244/Admin.(Services)/2025—Smt. Parul Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ramabai Nagar vice Sri Amit Malviya.

She is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Ramabai Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 245/Admin.(Services)/2025—Sri Amit Malaviya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kaushambi

for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sushri Shirin Zaidi.

No. 246/Admin.(Services)/2025—Sushri Shirin Zaidi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 247/Admin.(Services)/2025—Sri Brijesh Kumar Yadav, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kaushambi in the court created under 14th Finance Commission vice Smt. Abha Pal.

No. 248/Admin.(Services)/2025—Smt. Abha Pal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kaushambi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Dinesh Kumar Nagar.

No. 249/Admin.(Services)/2025—Sri Dinesh Kumar Nagar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur for trying cases of crime against women vice Sri Awanish Kumar-I.

No. 250/Admin.(Services)/2025—Sri Awanish Kumar-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sitapur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 251/Admin.(Services)/2025—Smt. Vineeta Vimal, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etawah in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Yajnesh Chandra Pandey.

No. 252/Admin.(Services)/2025—Sri Yajnesh Chandra Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Hapur.

No.253/Admin.(Services)/2025—Sri Gyanender Singh Yadav, Additional District & Sessions Judge, Hapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hapur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Umakant Jindal.

No. 254/Admin.(Services)/2025—Sri Umakant Jindal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hapur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption (V.B.U.P.S.E.B.), Lucknow vice Sri Rahul Mishra.

No. 255/Admin.(Services)/2025—Sri Rahul Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 256/Admin.(Services)/2025—Sri Ram Kishor-IV, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pilibhit for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Mahesha Nand Jha.

No. 257/Admin.(Services)/2025—Sri Mahesha Nand Jha, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge, Pilibhit.

No. 258/Admin.(Services)/2025—Smt. Anu Saxena, Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pilibhit vice Sri Tribhuwan Nath Paswan.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Pilibhit against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 259/Admin.(Services)/2025—Sri Tribhuwan Nath Paswan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Pilibhit in the

exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Dr. (Smt.) Shiva Pandey.

No. 260/Admin.(Services)/2025—Dr. (Smt.) Shiva Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 261/Admin.(Services)/2025—Sri Paritosh Shreshta, Additional District & Sessions Judge, Chandauli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Chandauli for trying cases of crime against women vice Sri Shyam Babu.

No. 262/Admin.(Services)/2025—Sri Shyam Babu, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Chandauli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Firozabad for trying cases of crime against women vice Sri Atul Chaudhary.

No. 263/Admin.(Services)/2025—Sri Atul Chaudhary, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 264/Admin.(Services)/2025—Sri Nishant Shaiva, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah vice Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 265/Admin.(Services)/2025—Sri Shashi Bhushan Kumar Shandil, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah vice Sri Ali Raja.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Etah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 266/Admin.(Services)/2025—Sri Ali Raja, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Ghazipur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Alakh Kumar.

No. 267/Admin.(Services)/2025—Sri Alakh Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Ghazipur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ghazipur for trying cases of crime against women.

No. 268/Admin.(Services)/2025—Sri Narendra Pal Rana, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Vikas Gupta.

No. 269/Admin.(Services)/2025—Sri Vikas Gupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur vice Sri Shashwata Pandey.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Saharanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 270/Admin.(Services)/2025—Sri Shashwata Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 271/Admin.(Services)/2025—Sri Asif Iqbal Rizvi, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mirzapur.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Mirzapur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 272/Admin.(Services)/2025—Sri Ankur Sharma, Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etawah vice Sri Neeraj Kumar Garg.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Etawah against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 273/Admin.(Services)/2025—Sri Neeraj Kumar Garg, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etawah to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 274/Admin.(Services)/2025—Sri Saurabh Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gautam Buddha Nagar for trying cases of crime against women vice Sri Ran Vijay Pratap Singh.

No. 275/Admin.(Services)/2025—Sri Ran Vijay Pratap Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 276/Admin.(Services)/2025—Sri Abhishek Pandey, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 277/Admin.(Services)/2025—Smt. Richa Upadhyay, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 278/Admin.(Services)/2025—Sri Ram Raj-II, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 279/Admin.(Services)/2025—Sri Netrapal Singh, Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi vice Sri Anand Prakash-III.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 280/Admin.(Services)/2025—Sri Anand Prakash-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 281/Admin.(Services)/2025—Sri Manoj Kumar Shasan, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar for trying cases of crime against women.

No. 282/Admin.(Services)/2025—Sri Varun Mohit Nigam, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 283/Admin.(Services)/2025—Smt. Shraddha Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional Principal Judge, Family Court, Hardoi.

No. 284/Admin.(Services)/2025—Smt. Asha Rani Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Muzaffarnagar vice Sri Kanishk Kumar Singh.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Muzaffarnagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 285/Admin.(Services)/2025—Sri Kanishk Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 286/Admin.(Services)/2025—Sri Hemendra Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 287/Admin.(Services)/2025—Sri Ajay Kumar Shahi, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 288/Admin.(Services)/2025—Sri Satish Chandra Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional Principal Judge, Family Court, Pratapgarh.

No. 289/Admin.(Services)/2025—Smt. Richa Joshi, Additional Principal Judge, Family Court, Pratapgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mirzapur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Chandragupt Yadav.

No. 290/Admin.(Services)/2025—Sri Chandragupt Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mirzapur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mirzapur for trying cases of crime against women.

No. 291/Admin.(Services)/2025—Smt. Sneha Lata Singh, Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh to be Additional Principal Judge, Family Court, Budaun.

No. 292/Admin.(Services)/2025—Sri Parashu Ram, Additional Principal Judge, Family Court, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 293/Admin.(Services)/2025—Sri Kamal Kant Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 294/Admin.(Services)/2025—Sri Vijay Kumar Verma-I, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Azamgarh vice Sri Ajay Srivastava.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Azamgarh against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 295/Admin.(Services)/2025—Sri Ajay Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Azamgarh.

No. 296/Admin.(Services)/2025—Sri Jainendra Kumar Pandey, Additional District & Sessions Judge, Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow vice Sri Pushkar Upadhyay.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Lucknow against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 297/Admin.(Services)/2025—Sri Pushkar Upadhyay, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Ravi Kant-III.

No. 298/Admin.(Services)/2025—Sri Ravi Kant-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Muzaffarnagar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Ashok Kumar-XIII.

No. 299/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Kumar-XIII, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Etah for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Smt. Manisha.

No. 300/Admin.(Services)/2025—Smt. Manisha, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Etah.

No. 301/Admin.(Services)/2025—Sushri Priti Srivastava-III, Additional District & Sessions Judge, Etah to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 302/Admin.(Services)/2025—Sri Vijai Pal, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 303/Admin.(Services)/2025—Sri Yashpal, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hardoi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hardoi for trying cases of crime against women vice Sri Sunil Kumar Singh-III.

No. 304/Admin.(Services)/2025—Sri Sunil Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Hardoi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hardoi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Smt. Sapna Tripathi-I.

No. 305/Admin.(Services)/2025—Smt. Sapna Tripathi-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Vikas Goyal.

No. 306/Admin.(Services)/2025—Sri Vikas Goyal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Agra vice Sri Dinesh Tiwari.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Agra against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 307/Admin.(Services)/2025—Sri Dinesh Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Deepak Yadav.

No. 308/Admin.(Services)/2025—Sri Deepak Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Ayodhya.

No. 309/Admin.(Services)/2025—Sri Amar Singh-I, Additional District & Sessions Judge, Ayodhya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Jainuddin Ansari.

No. 310/Admin.(Services)/2025—Sri Jainuddin Ansari, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh for trying cases of crime against women vice Sri Ramesh Chand-II.

No. 311/Admin.(Services)/2025—Sri Ramesh Chand-II, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Azamgarh to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 312/Admin.(Services)/2025—Sri Ifraque Ahmad, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna.

No. 313/Admin.(Services)/2025—Sri Bhartendra Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jalaun at Orai vice Smt. Parul Panwar.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jalaun at Orai against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 314/Admin.(Services)/2025—Smt. Parul Panwar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jalaun at Orai vice Dr. Avanish Kumar-II.

She is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Jalaun

at Orai against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 315/Admin.(Services)/2025—Dr. Avanish Kumar-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jalaun at Orai for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Pramod Kumar Gupta.

No. 316/Admin.(Services)/2025—Sri Pramod Kumar Gupta, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 317/Admin.(Services)/2025—Sri Rajeev Saran, Additional District & Sessions Judge, Jalaun at Orai to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rampur in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Kailash Kumar.

No. 318/Admin.(Services)/2025—Sri Kailash Kumar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rampur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rampur for trying cases of crime against women vice Sri Ashok Kumar Singh-X.

No. 319/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Kumar Singh-X, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Rampur.

No. 320/Admin.(Services)/2025—Smt. Shubhi Gupta, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional Principal Judge, Family Court, Agra.

No. 321/Admin.(Services)/2025—Sri Pradeep Kumar Mishra, Additional Principal Judge, Family Court, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda vice Sri Chhote Lal Yadav.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Banda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 322/Admin.(Services)/2025—Sri Chhote Lal Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Banda vice Sri Niranjana Kumar.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Banda against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 323/Admin.(Services)/2025—Sri Niranjana Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Banda to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 324/Admin.(Services)/2025—Sri Manish Kumar-I, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 325/Admin.(Services)/2025—Sri Sanjay Kumar-V, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Saharanpur for trying cases of crime against women vice Sri Vikas.

No. 326/Admin.(Services)/2025—Sri Vikas, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Gonda in the court created under 14th Finance Commission.

No. 327/Admin.(Services)/2025—Smt. Shikha Rani Jaiswal, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Deoria vice Sri Subhash Chandra Maurya.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Deoria against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 328/Admin.(Services)/2025—Sri Subhash Chandra Maurya, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional District & Sessions Judge, Deoria.

No. 329/Admin.(Services)/2025—Sri Sanjay Kumar Singh-III, Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly.

No. 330/Admin.(Services)/2025—Smt. Shivani Singh-I, Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 331/Admin.(Services)/2025—Smt. Aparna Pandey, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Meerut vice Sri Chandra Shekhar Misra.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Meerut against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 332/Admin.(Services)/2025—Sri Chandra Shekhar Misra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Meerut.

No. 333/Admin.(Services)/2025—Sri Brajesh Mani Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional Principal Judge, Family Court, Deoria.

No. 334/Admin.(Services)/2025—Sri Vikash Kumar-II, Additional Principal Judge, Family Court, Deoria to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 335/Admin.(Services)/2025—Sri Abhishek Kumar Chaturvedi, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur.

No. 336/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Kumar Yadav-IV, Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gorakhpur in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rahul Anand-I.

No. 337/Admin.(Services)/2025—Sri Rahul Anand-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gorakhpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri.

No. 338/Admin.(Services)/2025—Smt. Sandhya Chaudhary, Additional Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Rakesh Pandey.

No. 339/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sultanpur.

No. 340/Admin.(Services)/2025—Km. Shikha Pradhan, Additional District & Sessions Judge, Kasganj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kasganj for trying cases of crime against women vice Ghanendra Kumar.

No. 341/Admin.(Services)/2025—Sri Ghanendra Kumar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kasganj to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 342/Admin.(Services)/2025—Sri Yogendra Chauhan, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hardoi vice Smt. Kusum Lata.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Hardoi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 343/Admin.(Services)/2025—Smt. Kusum Lata, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Hardoi.

No. 344/Admin.(Services)/2025—Sri Achchhe Lal Saroj, Additional District & Sessions Judge, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mainpuri for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Smt. Mita Singh.

No. 345/Admin.(Services)/2025—Smt. Mita Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mainpuri to be Additional Principal Judge, Family Court, Meerut.

No. 346/Admin.(Services)/2025—Smt. Veena Narain, Additional Principal Judge, Family Court, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Barabanki for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Anil Kumar Shukla.

No. 347/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 348/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar-V, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Raebareli for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Smt. Pratima.

No. 349/Admin.(Services)/2025—Smt. Pratima, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge, Raebareli.

No. 350/Admin.(Services)/2025—Sri Amit Kumar Pande, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Raebareli vice Sri Ram Net.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Raebareli against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 351/Admin.(Services)/2025—Sri Ram Net, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Raebareli in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Alok Kumar Singh.

No. 352/Admin.(Services)/2025—Sri Alok Kumar Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional Principal Judge, Family Court, Gorakhpur.

No. 353/Admin.(Services)/2025—Smt. Renu Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Gorakhpur to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 354/Admin.(Services)/2025—Smt. Pooja Vishwakarma, Additional Principal Judge, Family Court, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 355/Admin.(Services)/2025—Sri Hari Prakash Gupta, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Fatehpur vice Sri Avijit Bhushan.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Fatehpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 356/Admin.(Services)/2025—Sri Avijit Bhushan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 357/Admin.(Services)/2025—Sri Lokesh Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lalitpur to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 358/Admin.(Services)/2025—Smt. Somprabha Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 359/Admin.(Services)/2025—Smt. Pratiksha Nagar, Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gautam Buddha Nagar for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Vijay Kumar Himanshu.

No. 360/Admin.(Services)/2025—Sri Vijay Kumar Himanshu, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Gautam Buddha Nagar.

No. 361/Admin.(Services)/2025—Sri Phool Chandra Kushwaha, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Maharajganj in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Vinay Kumar Singh-II.

No. 362/Admin.(Services)/2025—Sri Vinay Kumar Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 363/Admin.(Services)/2025—Sri Mohammed Qamruzzama Khan, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Lucknow in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Vijendra Tripathi.

No. 364/Admin.(Services)/2025—Sri Vijendra Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 365/Admin.(Services)/2025—Sri Abhai Srivastav, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bareilly vice Sri Gagan Kumar Bharti.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bareilly against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 366/Admin.(Services)/2025—Sri Gagan Kumar Bharti, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 367/Admin.(Services)/2025—Sri Pashupati Nath Mishra, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 368/Admin.(Services)/2025—Sri Pawan Kumar Srivastava, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Maharajganj to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 369/Admin.(Services)/2025—Sri Parvez Akhtar, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Prayagraj vice Sri Vinod Kumar Chaurasia.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Prayagraj against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 370/Admin.(Services)/2025—Sri Vinod Kumar Chaurasia, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Prayagraj in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rajesh Kumar-V.

No. 371/Admin.(Services)/2025—Sri Rajesh Kumar-V, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Additional Principal Judge, Family Court, Hardoi.

No. 372/Admin.(Services)/2025—Km. Farah Matloob, Additional Principal Judge, Family Court, Hardoi to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 373/Admin.(Services)/2025—Sri Suyash Praksah Srivastava, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Km. Rinku.

No. 374/Admin.(Services)/2025—Km. Rinku, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun vice Smt. Rekha Sharma.

She is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 375/Admin.(Services)/2025—Smt. Rekha Sharma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

No. 376/Admin.(Services)/2025—Sri Yogesh Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Prayagraj.

No. 377/Admin.(Services)/2025—Sri Mohd. Babar Khan, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Meerut in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rakesh Kumar Singh-II.

No. 378/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Kumar Singh-II, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bahraich for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sushri Kavita Nigam.

No. 379/Admin.(Services)/2025—Sushri Kavita Nigam, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 380/Admin.(Services)/2025—Sri Sunil Prasad, Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bahraich vice Sri Arbind Kumar Gautam.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bahraich against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 381/Admin.(Services)/2025—Sri Arbind Kumar Gautam, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bahraich to be Additional District & Sessions Judge, Bahraich.

No. 382/Admin.(Services)/2025—Sri Nitin Pandey, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 383/Admin.(Services)/2025—Sri Anubhava Dwivedi, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 384/Admin.(Services)/2025—Smt. Bhawna Gupta, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Moradabad.

No. 385/Admin.(Services)/2025—Sri Raghubar Singh, Additional District & Sessions Judge, Moradabad to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No. 386/Admin.(Services)/2025—Sri Yogesh Kumar-II, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 387/Admin.(Services)/2025—Sri Nusrat Khan, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 388/Admin.(Services)/2025—Sri Piyush Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar.

No. 389/Admin.(Services)/2025—Sri Dharendra Singh, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad for trying cases of crime against women vice Sri Mohammad Firoz.

No. 390/Admin.(Services)/2025—Sri Mohammad Firoz, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Vimal Verma.

No. 391/Admin.(Services)/2025—Sri Vimal Verma, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Moradabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Firozabad in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Ravi Kant Yadav-I.

No. 392/Admin.(Services)/2025—Sri Ravi Kant Yadav-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Firozabad to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 393/Admin.(Services)/2025—Sri Piyush Siddhartha, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kanpur Nagar for trying cases of crime against women vice Smt. Shradha Tripathi.

No. 394/Admin.(Services)/2025—Smt. Shradha Tripathi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kanpur Nagar to be Additional Principal Judge, Family Court, Varanasi.

No. 395/Admin.(Services)/2025—Smt. Ankita Dubey, Additional Principal Judge, Family Court, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Pratapgarh.

No. 396/Admin.(Services)/2025—Sri Uday Veer Singh, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hamirpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Sushil Kumar Kharwar.

No. 397/Admin.(Services)/2025—Sri Sushil Kumar Kharwar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Anti-corruption, (V.B.U.P.S.E.B.), Varanasi vice Sri Shailender Singh.

No. 398/Admin.(Services)/2025—Sri Shailender Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 399/Admin.(Services)/2025—Sri Ramesh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional District & Sessions Judge, Kaushambi.

No. 400/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Kumar-V, Additional District & Sessions Judge, Kaushambi to be Additional Principal Judge, Family Court, Meerut.

No. 401/Admin.(Services)/2025—Smt. Pushpa Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bhadohi at Gyanpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Asad Ahmad Hashmi.

No. 402/Admin.(Services)/2025—Sri Asad Ahmad Hashmi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bhadohi at Gyanpur to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 403/Admin.(Services)/2025—Sri Pran Vijay Singh, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions

Judge/Special Judge, Barabanki in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Rajiv Maheshwaram.

No. 404/Admin.(Services)/2025—Sri Rajiv Maheshwaram, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 405/Admin.(Services)/2025—Smt. Rekha Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 406/Admin.(Services)/2025—Smt. Shweta Dixit, Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional Principal Judge, Family Court, Pilibhit.

No. 407/Admin.(Services)/2025—Smt. Tarannum Khan, Additional Principal Judge, Family Court, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 408/Admin.(Services)/2025—Sri Chhangur Ram, Additional District & Sessions Judge, Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pilibhit for trying cases of crime against women vice Sri Chandra Mohan Mishra.

No. 409/Admin.(Services)/2025—Sri Chandra Mohan Mishra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Pilibhit to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 410/Admin.(Services)/2025—Dr. Dinesh Chandra Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge, Ghaziabad.

No. 411/Admin.(Services)/2025—Smt. Chhaya Nain, Additional District & Sessions Judge, Deoria to be Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly.

No. 412/Admin.(Services)/2025—Smt. Pratibha Saxena-II, Additional Principal Judge, Family Court, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kasganj in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Aditya Chaturvedi.

No. 413/Admin.(Services)/2025—Sri Aditya Chaturvedi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kasganj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi vice Sri Pawan Kumar Sharma-I.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Jhansi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 414/Admin.(Services)/2025—Sri Pawan Kumar Sharma-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jhansi for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Dharendra Kumar-III.

No. 415/Admin.(Services)/2025—Sri Dharendra Kumar-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bulandshahar vice Sri Vivek Kumar-I.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Bulandshahar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 416/Admin.(Services)/2025—Sri Vivek Kumar-I, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Agra.

No. 417/Admin.(Services)/2025—Sri Ranveer Singh, Additional District & Sessions Judge, Agra to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hamirpur vice Sri Anil Kumar Kharwar.

He is also appointed U/s 5(2) of U.P. Dacoity Affected Areas Act 1983 as Special Judge at Hamirpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 418/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar Kharwar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hamirpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Hamirpur vice Smt. Swati.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Hamirpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 419/Admin.(Services)/2025—Smt. Swati, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Hamirpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar.

No. 420/Admin.(Services)/2025—Smt. Rakhi Dixit, Additional Principal Judge, Family Court, Bulandshahar to be Additional Principal Judge, Family Court, Moradabad.

No. 421/Admin.(Services)/2025—Smt. Aparna Tripathi-II, Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Prayagraj for trying cases of crime against women vice Smt. Seema Singh-I.

No. 422/Admin.(Services)/2025—Smt. Seema Singh-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Prayagraj in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Bishnu Kumar Mishra.

No. 423/Admin.(Services)/2025—Sri Bishnu Kumar Mishra, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri for trying cases of crime against women vice Sri Kuldeep Singh-III.

No. 424/Admin.(Services)/2025—Sri Kuldeep Singh-III, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Bhoola Ram.

No. 425/Admin.(Services)/2025—Sri Bhoola Ram, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mainpuri to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Ashok Kumar-XII.

No. 426/Admin.(Services)/2025—Sri Ashok Kumar-XII, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Fatehpur for trying cases of crime against women.

No. 427/Admin.(Services)/2025—Sri Abhishek Sinha, Additional District & Sessions Judge, Raebareli to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli for trying cases of crime against women.

No. 428/Admin.(Services)/2025—Sri Vidya Bhushan Pandey, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Raebareli to be Additional District & Sessions Judge, Mathura.

No. 429/Admin.(Services)/2025—Sri Santosh Kumar Tripathi, Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mathura in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Ram Kishor-III.

No. 430/Admin.(Services)/2025—Sri Ram Kishor-III, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mathura to be Additional District & Sessions Judge, Fatehpur.

No. 431/Admin.(Services)/2025—Dr. Mohammad Iliyas, Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Fatehpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Anil Kumar-VI.

No. 432/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar-VI, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Fatehpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad.

No. 433/Admin.(Services)/2025—Smt. Mridula Mishra, Additional Principal Judge, Family Court, Ghaziabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Prayagraj for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Ratnesh Kumar Srivastava.

No. 434/Admin.(Services)/2025—Sri Ratnesh Kumar Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kasganj for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Sudhakar Rai.

No. 435/Admin.(Services)/2025—Sri Sudhakar Rai, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kasganj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Varanasi vice Smt. Sandhya Srivastava.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Varanasi against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 436/Admin.(Services)/2025—Smt. Sandhya Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Varanasi.

No. 437/Admin.(Services)/2025—Sri Abhay Krishna Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Saharanpur for trying cases U/s

14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Mohd. Ahmad Khan.

No. 438/Admin.(Services)/2025—Sri Mohd. Ahmad Khan, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Saharanpur.

No. 439/Admin.(Services)/2025—Sri Mahesh Kumar, Additional District & Sessions Judge, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Auraiya.

No. 440/Admin.(Services)/2025—Sri Sanjay Kumar Singh-II, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional Principal Judge, Family Court, Bijnor.

No. 441/Admin.(Services)/2025—Smt. Rajeshwari Toliya, Additional Principal Judge, Family Court, Bijnor to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 442/Admin.(Services)/2025—Smt. Pratibha Narayan, Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri to be Additional District & Sessions Judge, Ayodhya.

No. 443/Admin.(Services)/2025—Sri Nirbhay Narain Rai, Additional District & Sessions Judge, Sambhal at Chandausi to be Additional District & Sessions Judge, Hathras.

No. 444/Admin.(Services)/2025—Sri Mahendra Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Unnao for trying cases of crime against women vice Sri Ravi Prakash Sahu.

No. 445/Admin.(Services)/2025—Sri Ravi Prakash Sahu, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Unnao to be Additional District & Sessions Judge, Unnao.

No. 446/Admin.(Services)/2025—Smt. Karuna Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Shravasti at Bhinga to be Additional District & Sessions Judge, Firozabad.

No. 447/Admin.(Services)/2025—Sri Awadhesh Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Firozabad to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sambhal at Chandausi in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012.

No. 448/Admin.(Services)/2025—Sri Subash Chandra Tiwari, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Siddhartha Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Barabanki.

No. 449/Admin.(Services)/2025—Sri Gyan Prakash Shukla, Additional District & Sessions Judge, Barabanki to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Barabanki for trying cases of crime against women vice Sri Rakesh.

No. 450/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Barabanki to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Sultanpur in the court created under 14th Finance Commission.

No. 451/Admin.(Services)/2025—Sri Vijay Kumar Vishwakarma, Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ayodhya in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Ravi Kumar Gupta.

No. 452/Admin.(Services)/2025—Sri Ravi Kumar Gupta, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ayodhya to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ayodhya for trying cases of crime against women vice Sri Pradeep Kumar Singh-I.

No. 453/Admin.(Services)/2025—Sri Pradeep Kumar Singh-I, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Ayodhya to be Additional District & Sessions Judge, Ayodhya.

No. 454/Admin.(Services)/2025—Sri Rajat Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Ayodhya.

No. 455/Admin.(Services)/2025—Smt. Noori Ansar, Additional District & Sessions Judge, Ayodhya to be Additional District & Sessions Judge, Lakhimpur Kheri.

No. 456/Admin.(Services)/2025—Smt. Sapna Shukla, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Varanasi to be Additional Principal Judge, Family Court, Saharanpur.

No. 457/Admin.(Services)/2025—Smt. Shabih Zehra, Additional Principal Judge, Family Court, Saharanpur to be Additional District & Sessions Judge, Mirzapur.

No. 458/Admin.(Services)/2025—Sri Baljor Singh, Additional District & Sessions Judge, Mirzapur to be Additional District & Sessions Judge, Baghpat.

No. 459/Admin.(Services)/2025—Sri Shiv Kumar-III, Additional District & Sessions Judge, Baghpat to be Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur.

No. 460/Admin.(Services)/2025—Smt. Aparna Tripathi-I, Additional District & Sessions Judge, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge, Ramabai Nagar.

No. 461/Admin.(Services)/2025—Sri Ravindra Prasad Gupta, Chief Legal Advisor, NOIDA, Gautam Buddha Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Lucknow.

No. 462/Admin.(Services)/2025—Sri Divaker Dwivedi, Joint Registrar (J) (SCMS), High Court of Judicature at Allahabad to be Additional Principal Judge, Family Court, Prayagraj.

No. 463/Admin.(Services)/2025—Smt. Nisha Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Sultanpur vice Smt. Ekta Verma.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Sultanpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 464/Admin.(Services)/2025—Smt. Ekta Verma, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Sultanpur to be Additional District & Sessions Judge, Sitapur.

No. 465/Admin.(Services)/2025—Sri Ajai Kumar Dixit, Judicial Member, Commercial Tax Tribunal, Meerut to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Rampur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Prabhu Narayan Pandey.

No. 466/Admin.(Services)/2025—Sri Prabhu Narayan Pandey, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Rampur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 467/Admin.(Services)/2025—Sri Anil Kumar Yadav-I, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Ranjeet Kumar.

No. 468/Admin.(Services)/2025—Sri Ranjeet Kumar, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 469/Admin.(Services)/2025—Sri Mohd. Shariq Siddique, Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Jaunpur vice Smt. Roopali Saxena.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Jaunpur against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 470/Admin.(Services)/2025—Smt. Roopali Saxena, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Jaunpur to be Additional District & Sessions Judge, Jaunpur.

No. 471/Admin.(Services)/2025—Sri Manoj Kumar Singh-III, Special Secretary & Additional L.R. (Legislative), Government of U.P., Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 472/Admin.(Services)/2025—Sri Abhimanyou Singh, Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar to be Additional District & Sessions Judge, Ghazipur.

No. 473/Admin.(Services)/2025—Sri Nikunj Mittal, Special Secretary & Additional L.R. (Nyay Vibhag), Government of U.P., Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Bareilly.

No. 474/Admin.(Services)/2025—Km. Afshan, Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Bareilly for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Rakesh Tripathi.

No. 475/Admin.(Services)/2025—Sri Rakesh Tripathi, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Bareilly to be Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 476/Admin.(Services)/2025—Km. Parul Jain, Registrar, U.P. State Public Services Tribunal, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge, Auraiya.

No. 477/Admin.(Services)/2025—Sri Vikas Goswami, Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Auraiya for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Akhileswar Prasad Mishra.

No. 478/Admin.(Services)/2025—Sri Akhileswar Prasad Mishra, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Auraiya in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Manraj Singh.

No. 479/Admin.(Services)/2025—Sri Manraj Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Auraiya to be Additional District & Sessions Judge, Prayagraj.

No. 480/Admin.(Services)/2025—Sri Aniruddha Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Prayagraj to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kushinagar at Padrauna for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Sunil Kumar Yadav.

No. 481/Admin.(Services)/2025—Sri Sunil Kumar Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge, Jhansi.

No. 482/Admin.(Services)/2025—Sri Shakti Putra Tomar, Additional District & Sessions Judge, Jhansi to be Additional District & Sessions Judge, Kasganj.

No. 483/Admin.(Services)/2025—Sushri Ekta Kushwaha, Additional District & Sessions Judge, Kasganj to be Additional Principal Judge, Family Court, Varanasi.

No. 484/Admin.(Services)/2025—Smt. Rashmi Nanda, Additional Principal Judge, Family Court, Varanasi to be Additional District & Sessions Judge, Gonda.

No. 485/Admin.(Services)/2025—Sri Surya Prakash Singh, Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Gonda for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Raj Bahadur Ram Dev Yadav.

No. 486/Admin.(Services)/2025—Sri Raj Bahadur Ram Dev Yadav, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Gonda to be Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar.

No. 487/Admin.(Services)/2025—Smt. Shagun Panwar, Additional Principal Judge, Family Court, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Bulandshahar.

No. 488/Admin.(Services)/2025—Smt. Moushmee Madhesiya, Additional District & Sessions Judge, Basti to be Additional Principal Judge, Family Court, Basti.

No. 489/Admin.(Services)/2025—Smt. Tarkeshwari Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Basti to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh in the court created under 14th Finance Commission vice Smt. Rachna.

No. 490/Admin.(Services)/2025—Smt. Rachna, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Aligarh to be Additional Principal Judge, Family Court, Aligarh.

No. 491/Admin.(Services)/2025—Smt. Jyoti Singh, Additional Principal Judge, Family Court, Aligarh to be Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar.

No. 492/Admin.(Services)/2025—Sri Anjani Kumar Singh, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Barabanki in the court created under 14th Finance Commission vice Sri Vinay Prakash Singh.

No. 493/Admin.(Services)/2025—Sri Vinay Prakash Singh, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Barabanki to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Auraiya in the court created under 14th Finance Commission.

No. 494/Admin.(Services)/2025—Smt. Geetanjali Garg, Additional District & Sessions Judge, Hamirpur to be Additional Principal Judge, Family Court, Lucknow.

No. 495/Admin.(Services)/2025—Smt. Shuchi Srivastava, Additional Principal Judge, Family Court, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Kanpur Nagar vice Km. Nisha Srivastava.

She is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Kanpur Nagar against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 496/Admin.(Services)/2025—Km. Nisha Srivastava, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar.

No.497/Admin.(Services)/2025—Sri Parmeshwar Prasad, Additional District & Sessions Judge, Kanpur Nagar to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna for trying cases of crime against women vice Sri Satya Pal Singh Premi.

No. 498/Admin.(Services)/2025—Sri Satya Pal Singh Premi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna in the court created under 14th Finance Commission.

No. 499/Admin.(Services)/2025—Smt. Yasmin Akbar, Additional District & Sessions Judge, Meerut to be Additional Principal Judge, Family Court, Shahjahanpur.

No. 500/Admin.(Services)/2025—Smt. Priti Singh-I, Additional Principal Judge, Family Court, Shahjahanpur to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mau for trying cases U/s 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Act no. 33 of 1989) vice Sri Harendra Prasad.

No. 501/Admin.(Services)/2025—Sri Harendra Prasad, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge, Mau.

No. 502/Admin.(Services)/2025—Sri Rajiv Kumar Vats, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau for trying cases of crime against women vice Sri Janardan Prasad Yadav.

No. 503/Admin.(Services)/2025—Sri Janardan Prasad Yadav, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court), Mau to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Mau in the exclusive Court for trying cases covered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 vice Sri Raj Vir Singh.

No. 504/Admin.(Services)/2025—Sri Raj Vir Singh, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Mau to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Budaun vice Smt. Poonam Singhal.

He is also appointed U/s 12-A of U.P. Essential Commodities (Special Provisions) Act, 1981, as Special Judge at Budaun against the special court created for trying cases under the said Act.

No. 505/Admin.(Services)/2025—Smt. Poonam Singhal, Special Judge/Additional District & Sessions Judge, Budaun to be Additional District & Sessions Judge, Budaun.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

कार्यालय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बस्ती

07 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 59/UP51B-7927 ट्रक/पंजीयन निरस्त/25—वाहन UP51B-7927 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 373011DQQ708608 इंजन नम्बर 697D22DQQ726952 मॉडल 1999 वाहन माह दिनांक 02 फरवरी, 2013 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री मोहम्मद मुस्तफा, निवासी-वार्ड नं0-9, लक्ष्मीबाई नगर, नगर पंचायत बभनान, पोस्ट-बभनान, जनपद-बस्ती, ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 02 फरवरी, 2013 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 218 दिनांक 01 मई, 2023 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 19 मार्च, 2025 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 02 फरवरी, 2013 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55(5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP51B-7927 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 02 फरवरी, 2013 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। किसी भी स्रोत से वाहन संचालन की पुष्टि होती है/संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी

जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा कर अपलेखन तिथि से कर एवं शास्ति जमा करने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की ही होगी। पंजीयन अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपलेखन तिथि से जो भी कर बकाया होगा उसके सम्बन्ध में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

सं0 60/UP44B-5945 ट्रक/पंजीयन निरस्त/25-वाहन UP44B-5945 प्रकार ट्रक चेचिस संख्या 373011CQQ002477 इंजन नम्बर 697D22CQQ108327 मॉडल 1999 वाहन माह दिनांक 01 जनवरी, 2013 को कबाड़ में कटकर अस्तित्वविहीन हो चुकी है। वाहन के पंजीकृत स्वामी श्री फिरोज अहमद पुत्र श्री मोहम्मद मुस्तफा, निवासी-वार्ड नं0-9, लक्ष्मीबाई नगर, नगर पंचायत बभनान, पोस्ट-बभनान, जनपद-बस्ती, ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 द्वारा यह अवगत कराया है कि वाहन 01 जनवरी, 2013 से स्थाई रूप से संचालन के योग्य नहीं रह गई थी, जिसके कारण कबाड़ में कटवा दी गई है। कबाड़ में कटने के कारण वाहन अस्तित्वविहीन हो गई है। वाहन स्वामी के प्रार्थना-पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1412 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 द्वारा अध्यक्ष सहित 4 सदस्यीय कर अपलेखन हेतु गठित समिति की दिनांक 19 मार्च, 2025 को दी गई कर अपलेखन की संस्तुति परक आख्या, वाहन के अस्तित्वविहीन होने के प्रकीर्ण साक्ष्यों के दृष्टिगत उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22(अ) के आलोक में कर का अपलेखन करते हुए यान के दिनांक 01 जनवरी, 2013 को कबाड़ में कटने के निमित्त केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-22 'अ' के अन्तर्गत कर अपलेखन करते हुए धारा-55(5) में उपबन्धित प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मैं, पंकज सिंह, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग बस्ती, वाहन संख्या UP44B-5945 प्रकार ट्रक का भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2013 से तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त करता हूँ।

उपरोक्त निर्णय प्रस्तुत प्रत्यावेदन में संलग्न प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या के आधार पर लिया जा रहा है। किसी भी स्रोत से वाहन संचालन की पुष्टि होती है/संलग्नक प्रपत्र एवं कमेटी की आख्या कूटरचित या फोर्ज पायी जाती है तो पंजीयन निरस्तीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा कर अपलेखन तिथि से कर एवं शास्ति जमा करने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की ही होगी। पंजीयन अधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि अपलेखन तिथि से जो भी कर बकाया होगा उसके सम्बन्ध में नियमानुसार वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

पंकज सिंह,

पंजीयन अधिकारी,

मोटर वाहन विभाग, बस्ती।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

09 जनवरी, 2024 ई0

सं0 06/12ए-डी0एल0आर0सी0-पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा चुरारा, तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	चुरारा	960मि०	0.445 में से 0.250 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3ड बंजर	नव प्रस्तावित 33/11 के०वी० उप केन्द्र ग्राम चुरारा में निर्माण हेतु विद्युत वितरण खण्ड मऊरानीपुर (1 रुपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)

सं० 07/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा पड़रा, तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	पड़रा	1001 मि०	0.631 हे० सम्पूर्ण	श्रेणी 5-3ड बंजर	राजकीय हाईस्कूल पड़रा (भवन निर्माण हेतु) (निःशुल्क)

10 जनवरी, 2024 ई०

सं० 08/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा दिगारा, तहसील व जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	दिगारा	520 मि०	0.320 हे० में से 0.120 हे०	श्रेणी 6-4 बंजर	राहत आयुक्त उ०प्र० लखनऊ को क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया केन्द्र की स्थापना हेतु (निःशुल्क)

सं० 09/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा ढिमलौनी, तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	ढिमलौनी	456	0.725 हे० में से 0.405 हे०	श्रेणी 5-3ड बंजर	हॉस्टल/पुलिस बैरक विवेचना कक्ष, मऊरानीपुर के निर्माण हेतु (पुलिस विभाग झाँसी) (निःशुल्क)

12 जनवरी, 2024 ई०

सं० 11/12ए-डी०एल०आर०सी०/2023-उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023-रा०-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-मैगांव तहसील टहरौली के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	मैगांव	83	0.287	श्रेणी-5(3)ड़	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
					85	0.040	बंजर	उ०प्र० (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
योग .						0.327		

जनपद झाँसी में मै० एमप्लस सोलर शक्ति प्रा०लि० (यूपीनेडा एवं टी०एच०डी०सी०आई०एल० के संयुक्त उपक्रम) के 50 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु कार्यालय पत्र संख्या-Ref ASSPL_Govt_Land_23-24_12 Date June 20, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2011/यूपीनेडा-एसई-ओपन एक्सेस/319/2018/सरकारी भूमि लीज/2023 उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त ओपन एक्सेस की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उ०प्र० को ग्राम मैगांव तहसील टहरौली में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023 सं०-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति० ऊ०सो०वि०/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 0.791 हे० (1.95 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु० 2.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

16 जनवरी, 2024 ई०

सं० 16/12ए-डी०एल०आर०सी०/2023-उ०प्र० सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023-रा०-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बुढपुरा तहसील झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1119	4.434	श्रेणी-5(3) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
					1115	2.934		विभाग, उ०प्र० (1 रुपये
					1121	0.987		प्रति एकड़ प्रतिवर्ष
					1119मि०	0.110		सांकेतिक मूल्य दर पर
					1122/2मि०	1.900		अधिकतम 30 वर्ष के लिए
					1122/3	0.282		पट्टे पर)
					1124/3मि०	0.210		
					1124/4मि०	0.031		
					1124/5	1.082		
					1124/8मि०	0.083		
					1124/10मि०	0.076		
					1124/10मि०	0.172		
					1124/20मि०	1.963		
					1124/26मि०	0.008		
					1124/29मि०	0.538		
					1124/32	0.685		
					1124/33	1.240		
					1124/34	1.201		
					1124/37मि०	0.070		
					1124/11	0.058		
					1124/13	0.380		
					1124/15	0.100		
					1124/35	0.180		
					1124/36			
					योग .	17.724		

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा0लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा0लि0 हैदराबाद के ई-मेल पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा0लि0/50 मे0वा0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम बुढपुरा तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 17.724 हे0 (44.00 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 44.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तिर्याँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तिर्याँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

02 फरवरी, 2024 ई0

सं0 42/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बैजपुर तहसील झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैजपुर	04	0.014	श्रेणी-5(1) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
					05	0.222		विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये
					36मि0	0.040		प्रति एकड़ प्रतिवर्ष
					35	0.664		सांकेतिक मूल्य दर पर
					38	0.134		अधिकतम 30 वर्ष के लिए
					41	0.178		पट्टे पर)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैजपुर	42	0.274	श्रेणी-5(1) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
					43मि0	0.284		विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये
					44	0.615		प्रति एकड़ प्रतिवर्ष
					49	0.368		सांकेतिक मूल्य दर पर
					55मि0	0.121		अधिकतम 30 वर्ष के लिए
					59मि0	0.323		पट्टे पर)
					59मि0	0.300		
					63मि0	0.121		
					योग .	3.631		

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा0लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा0लि0 हैदराबाद के ई-मेल पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा0लि0/50 मे0वा0/सरकारी भूमि लीज/2023 उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 को ग्राम बैजपुर तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 3.631 हे0 (08.97 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 9.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ0प्र0 के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 43/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023-उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बैजपुर तहसील झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैजपुर	26	0.253	श्रेणी-5(1) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
					29	1.526 में से 0.919		विभाग, उ०प्र० (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)
				योग.		1.172		

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा०लि० (यूपीनेडा एवं टी०एच०डी०सी०आई०एल० के संयुक्त उपक्रम) के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा०लि० हैदराबाद के ई-मेल पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो०पा० प्रा०लि०/50 मे०वा०/सरकारी भूमि लीज/2023 उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० को ग्राम बैजपुर तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023 सं०-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति० ऊ०सो०वि०/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 1.172 हे० (02.89 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु० 3.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उ०प्र० के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

08 फरवरी, 2024 ई०

सं० 50/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुनर्ग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा उल्दन, तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	उल्दन	735मि०	2.198 में से 1.200 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3ड़ बंजर	निराश्रित गौवंश संरक्षण हेतु वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना (पशुधन विभाग को) (निःशुल्क)

13 फरवरी, 2024 ई०

सं० 57/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुर्नग्रहण/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा सिंगरवारा, तहसील मऊरानीपुर जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	मऊरानीपुर	मऊरानीपुर	सिंगर वारा	02	0.648 सम्पूर्ण	श्रेणी 5-3ड़ बंजर	पर्यटन विभाग झाँसी (पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने हेतु) (निःशुल्क)
					55	2.452 में से 1.643		
					योग.	2.291		

15 फरवरी, 2024 ई०

सं० 58/12ए-डी०एल०आर०सी०-पुर्नग्रहण/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020

द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित मौजा बघैरा, तहसील टहरौली जिला झाँसी के प्रबन्ध में निहित थी, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फिर से अपने अधिकार में लिया जाता है।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	टहरौली	टहरौली	बघैरा	184	0.101 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3ड़ बंजर	नवीन पुलिस चौकी के निर्माण हेतु (पुलिस विभाग झाँसी) (निःशुल्क)

अविनाश कुमार,
जिलाधिकारी, झाँसी।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विज्ञप्ति

21 नवम्बर, 2025 ई0

सं० 5234/जी0-166/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा० हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लखीमपुर, परगना-पैला, जनपद-लखीमपुर खीरी के ग्राम-बेरिहा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

10 दिसम्बर, 2025 ई०

सं० 5532/जी०-175/2024-25/धारा-6(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-6 की उप धारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-8313/आई०ए०-813/1954, दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, डा० हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, तहसील-पयागपुर, जनपद-बहराइच के ग्राम-मनिकापुर कलां में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-4691/जी०-610/2006 दिनांक 28 फरवरी, 2009 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ।

सं० 5547/जी०-38ए/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०, अधिनियम सं०-5-1954 ई०) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं०-1769/सी०एच०-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये

प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना कन्नौज, जनपद-कन्नौज के ग्राम-सददूपुर बांगर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5548/जी0-152ए/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-मीरानपुर, जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-पूरे काशीराम में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5549/जी0-78/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-मेहदावल, परगना-मगहर पूरब, जनपद-संतकबीर नगर के ग्राम-थरौली, तप्पा-बखिरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5550/जी0-168/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-ढिंगवस, जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम-पूरेघनश्याम में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5551/जी0-157/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-भाटपाररानी, परगना-सलेमपुर मझौली, जनपद-देवरिया के ग्राम-सिकरहटा, तप्पा-सोहनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5552/जी0-49/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा

विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-मीरगंज, परगना-सिरौली, जनपद-बरेली के ग्राम-जैतपुरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5553/जी0-179/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-राबर्ट्सगंज, परगना-बड़हर, जनपद-सोनभद्र के ग्राम-सांगों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5554/जी0-225/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-खागा, परगना-हथगाम, जनपद-फतेहपुर के ग्राम-हरीरामपुर गोबरौरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5555/जी0-155/2023-24/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त,

1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-बिसवां, जनपद-सीतापुर के ग्राम-मसेनामऊ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5556/जी0-201/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-लालगंज, परगना-कन्तित, जनपद-मीरजापुर के ग्राम-चौराही, तप्पा-उपरौध में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5557/जी0-48बी/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बूढ़नपुर, परगना-कौड़िया, जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-गहजी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5558/जी0-241/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बहेड़ी, परगना-रिछा, जनपद-बरेली के ग्राम-खिरना में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5559/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-फरीदपुर, जनपद-बरेली के ग्राम-अहमदपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5560/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के

सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-रुधौली, पगरना-बस्ती पूरब, जनपद-बस्ती के ग्राम-भौखरी, तप्पा-उमरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 5561/जी0-160/2024-25/धारा-52(1)— उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-भदौव, जनपद-मऊ के ग्राम-बस्ती में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

02 जनवरी, 2026 ई0

सं0 25/जी0-225/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-खागा, परगना-हथगाम, जनपद-फतेहपुर के ग्राम-गनेशदासपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 26/जी0-161/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त,

1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-रुधौली, परगना-मगहर पश्चिम, जनपद-बस्ती के ग्राम-सिरसिया, तप्पा-रुधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 27/जी0-241/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बहेड़ी, परगना-चौमहला, जनपद-बरेली के ग्राम-फैजाबाद में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 28/जी0-240/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के

सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-बेल्थरा रोड, परगना-सिकंदरपुर गर्वी, जनपद-बलिया के ग्राम खूटा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 29/जी0-38/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना-छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज के ग्राम-सरदामई में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 30/जी0-176/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उप धारा (1-क) उप धारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील-सदर, परगना-मझवार, जनपद-चन्दौली के ग्राम-गोवर्धनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

डा0 हृषिकेश भास्कर याशोद,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

8 जनवरी, 2025 ई०

तारीख

18 पौष, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०-वि०स०/०९/2022(लख०)-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2022 की निर्वाचन याचिका संख्या 09 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दिनांक 12 नवम्बर, 2024 के निर्णय को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 8th January, 2025

18 Pausha, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/U.P.-L.A./09/2022(Alld.)—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 12th November, 2024 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Allahabad in Election Petition No. 09 of 2022.

By Order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**ELECTION PETITION NO. 9 OF 2022**

(Under Section 80, 80-A, 81 of Representation of the People Act 1951)

DISTRICT : FIROZABAD

Manvendra Pratap Singh Son of Kunwer Pal Singh, Resident of Village & Post Kailai, District Firozabad, presently residing at 465 Shambhunagar, Shikohabad, District Firozabad.

-----Petitioner

1. Sachin Yadav son of Birpal Singh Yadav, Resident of Paidata, Post Paidat, District Firozabad.

----- Returned Candidate/Respondent

2. Vijay Nath Singh (Chhotu) son of Raghunath Singh Verma Patel, Resident of Kutakpur, Post Jasrana, District Firozabad.

3. Surya Pratap Singh son of Bhishma Pal Singh, Resident of Lalpur, Post Jani Khurd Kalan, District Firozabad.

4. Amit Yadav son of Rishi Kumar, Resident of Maghipur, Post Paidat, District Firozabad.

5. Suneel Kumar Jha son of Vishwanath, Resident of Sonai, Post Nagaladheer, District Firozabad.

6. Kishan Pal Singh son of Gulab Singh, Resident of Karari Sarhad, Post Pilkhtar, District Firozabad.

7. Navab Singh son of Bharat Singh, Resident of Kheria, Post Nagala Patti, District Firozabad.

8. Rajiv Kumar son of Anokhe Lal, Resident of House No. 10, Lodhpura Jasrana, District Firozabad.
9. Shiv Pratap Singh son of Balvir Singh, Resident of Farida Paidat, Post Paidat, District Firozabad.

----- Contested/Respondents

Neutral Citation No. - 2024:AHC:185482

Reserved on 09.07.2024

Delivered on 12.11.2024.

Court No. - 4

Case :- ELECTION PETITION No. - 9 of 2022

Petitioner :- Manvendra Pratap Singh

Respondent :- Sachin Yadav And 8 Others

Counsel for Petitioner :- Aalok Kumar Srivastava, In

Person, Manvendra Pratap Singh (In Person), Shashi Kumar Mishra

Counsel for Respondent :- Narendra Kumar Pandey

Hon'ble Ajit Kumar, J.

1. The petitioner Mr. Manvendra Pratap Singh has questioned the election of returned candidate, namely Mr. Sachin Yadav on the ground of corrupt practice indulged into during process of election and hence for such corrupt practice, this Court may declare the election of a returned candidate to be void in view of provisions as contained under Section 100 (1) (d) (iv) of the Representation of People Act, 1981 read with Conduct of Election Rules 1961.

2. The ground of corrupt practice as such indulged in the process of election has come to be mentioned as ground nos. B, C, D, E and F in the election petition

3. In order to elaborate corrupt practice, it is pleaded that there was violation of Rule 49T of the conduct of the Election Rules, 1961 that has resulted in the victory of respondent no. 1, Sachin Kumar.

4. Vide ground b, it is stated that three of the EVM machines placed upon table for the purpose of counting, did not show any result in the 30th and 34th round and upon re-fixation for 35th and 36th round 23 EVM machines did not respond so there was no counting beyond 32nd round.

5. Vide ground C, it is stated that upon query being made from the District Magistrate, he informed the applicant petitioner that polling officer/agent committed mistake in closing the machine after completion of voting on 20th February, 2022 and so there was violation of Rules 49 T, read with Rules 66-A of the conduct Rules, 1961. Vide ground D, it is stated that there was no seal placed upon these machines and vide ground f, it is stated that this corrupt practice in functioning of EVM machine has affected result of the 96 Legislative Assembly Constituency Jasrana. Vide ground g, conspiracy has been attributed to the polling agents as well as returning officers. An

6. An application has been filed by the returned candidate under Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908, raising objection as to the maintainability of the election petition on the ground that it lacks 'material fact' *qua* allegations made and more so the allegations being sweeping in nature without substance to form a core of action. It is further pleaded that the grounds raised *qua* corrupt practice lack

necessary material facts and ingredients to render petition not triable. It is further pleaded that vague allegations have been regarding mistake in putting seal on the EVM, as neither any particular of machine, nor any date or time has been disclosed with regard to query made to the District Magistrate and reply made by him. Thus according to the pleadings raised in affidavit filed in support of application filed under Order VII Rule 11 of the Code of Civil Procedure, 1908, the petition does not disclose a cause of action to be tried and hence the election petition is liable to be rejected under Order VII Rule 11 (a) of Code of Civil Procedure, 1908

7. With the consent of the parties, the Court proceeds to consider and decide the Order VII Rule 11(a) application first.

8. Sri N.K.Pandey, learned Advocate appearing for the returned candidate has argued in support of his application filed under Order VII Rule 11 (a) that in the initial paragraphs 1 to 9 only general informations have been detailed regarding election schedule, name of candidates and the political parties, in paragraph 10 of the petition total number of votes obtained by election petitioner and respondent no. 1 of each round of voting has been disclosed though alleged to be incorrectly recorded in petition and so also details of vote counts have been pleaded in paragraph 11 of the petition. But so far as grounds raised in paragraph 12 are concerned, vide subclause A,B,C,D,E,F and G, it is argued that petitioner has not complied with mandatory provisions as contained under Section 83 by not setting-forth full particulars of the corrupt practice. It is argued that though grounds have been mentioned in various clauses of paragraph 12 but no particulars of 'corrupt practice' as such has been detailed in support thereof even successive paragraphs.

9. Regarding ground no. 'A', which is a stark ground of entire petition *qua* violation of the Rule 49T of the conduct of Election Rules, 1961, Mr. Pandey argued that if provision is read with Section 45 and 49 of the R.P. Act, 1951, it would become clear that the polling agent of candidates are to be deployed by the candidates themselves at polling stations, who, may desire to fix/ put their seal and they are permitted to do if they want but election petition is absolutely silent as it fails to demonstrate and substantiate for not giving those material particulars which may lead to at least *prima facie* establish violation of Rule, 49-T to make out a ground to try election petition.

10. He argues that neither name of the agent, nor person, nor date and time has been disclosed about query made from the District Magistrate concerned, nor any supportive document has been filed to demonstrate as to on which particular date and time a particular polling agent had put a query to District Magistrate regarding mistake committed by polling officer by not putting seal

11. Mr. Pandey has also questioned the authenticity of handmade chart appended with schedule. He also argued that there was no affidavit of corrupt practice as such filed alongwith election petition, which was also required to be filed under the Act and the Rules.

12. Mr. Pandey has heavily relied upon recent authority of this Court in the case **Prashant Kumar Singh v. Hakim Lal, 2024(2) ADJ 853**, in which for lack of material particulars in the election petition in support of the ground of corrupt practice, the petition was rejected under Order VII Rule 11(a) of the CPC.

13. Meeting the arguments advanced by learned Advocate, Mr. Pandey, Sri A.K.Srivastava, learned counsel for the election petitioner submitted that violation of Rule 49-T is itself sufficient a ground to constitute corrupt practice, because it has been detailed out in the ground itself that certain Electronic Voting Machine were not responding at the time of counting of votes. He submitted that it was because of non functioning of these EVMs that count of votes mentioned in chart has been questioned as there was no counting after the 32nd round and chart has already been appended alongwith the schedule. He argued that it was a triable issue as to whether violation of Rule 49T had taken place in a particular case or not and this

could be tried only after parties were permitted to lead evidence. He submitted that this question of sealing of electronic voting machines could be answered only when the District Election Officer was summoned to witness box. This according to him, it is a premature stage to hold that material particulars having not been pleaded and brought on record, the election petition deserved dismissal under and Order VII Rule 11 (a) of the CPC.

14. Mr. Srivastava has further submitted that corrupt practice can be either in terms of law or in terms of fact. According to him non exercise of or even wrongful exercise of power under relevant provisions itself may amount to 'corrupt practice' and that can be proved only when parties are permitted to lead evidence. Answering the question of particulars of the polling agents being not given or the persons who had enquired from the District Magistrate, Mr. Srivastava has reiterated the argument as above.

15. Regarding argument of sweeping allegations made in the election petition with no substance, Mr. Srivastava submitted that this is not the stage to assess correctness of allegations as it would all depend upon sufficiency of evidence to be led at the stage of trial. On the point of there being no affidavit of corrupt practice as such filed, Mr. Srivastava submits that it is a curable defect which can of-course always be removed and this will not hit at the very root of the election petition at this stage.

16. Regarding grounds not being elaborated further giving 'material facts and full particulars' as per action 83(1) of R.P. Act, 1951, he submitted that these are crucial pleas taken which can be tested only after evidence is led by the parties as per General Civil Law.

17. Having heard learned counsel for the respective parties and having perused the records, I find it necessary here to reproduce the ground nos. B,C,D and E to discuss it further to find as to whether there is a cause of action available or petition lacks requisite cause of action and so deserves to be thrown at the very threshold. The grounds are reproduced hereunder:

“ B- Becqause due to negligent and malafide intention of Polling Agents and Presiding Officer, Rule 49-T of the Conduct of Election Rules, 1961 was fully violated by not sealing the voiting Machine after poll.

C. Because, at the time of counting of votes in 96 Legislative Assembly Constituency Jasrana, 14 Tables were fixed for counting of votes of total Booths, and from Table No. 1 to Table No. 8 the counting of 34rounds were to be conducted for counting of votes and from Tables No. 10 to 14 there were 33 rounds to be fixed fair counting of votes and during counting of votes, either one EVM Machine in one Table or two EVM Machine at other Table were not showing the result up to 33 and 34 rounds of counting of votes, as such District Election Officer gain fixed round no. 35 and 36 for counting of votes 23 EVM Machine, which were not showing the result during counting

D. Because when the querry was made from the District Election Officer who informed these EVM Machines by mistake of polling Agents/Officers it could not be closed after completion of election dated 20.02.2022, whereas it is mandatory for the Polling Agents as well as the concerned Returning Officer to close the EVM Machine after completion of casting of votes and it is provided in Rule 49-T of Conduct of Election Rules, 1961 to seal the EVM Machines in a particular manner as provided in the guide line of EVM Machine so as to prevent the corrupt practice but same was not done by the authorities as provided in law.

E. Because all the 23 EVM Machines were closed at Polling Booths by Returning Officer on 10th March, 2022 after passing 18 days, from 20.2.2022 without taking written permission from Agents or the candidates of 96 Legislative Assembly Constituency Jasrana, which is against the guide line of Election Commission or violated the Rule 49-T and 66A of the Conduct of Election Rules, 1961 as after polling or

casting of votes from the electors through EVM Machines, the same are to be closed/sealed on the same day i.e. 20.02.2022 but same was not done by the Polling Agents and Presiding Officer only to give benefit to returned candidates.”

18. From a bare reading of the aforementioned ground no. B and D it is clear that violation of Rule 49T has been pleaded as corrupt practice but what corrupt practice as such was committed and what was particulars and material facts to show that EVMs were not sealed after election was over and voting closed on 20th February, 2022. There is only one sentence added that District Magistrate gave the information qua mistake of officer handling EVMs. The grounds are silent about the particulars as to who had put this query to the District Magistrate and to whom District Magistrate informed that EVMs were not sealed.

19. The grounds do not detail out particulars as to agents and officers who were to put a seal upon particular EVMs, nor details of EVM have been mentioned. The 32 rounds of vote count is not disputed but it is said that 33 to 35 round there was no counting of vote but there is no supportive material facts stated as to how petitioner got this knowledge that EVMs were locked and were not responding at the time of counting of votes. Paragraphs that follow grounds, namely, paragraph nos. 13,14 and 15 do not refer to any details *qua* particulars regarding violation of Rule 49T, nor, again name of any agent has been disclosed, nor EVMs. Details have been given. A details of round counting polling station-wise as given in paragraph 13 cannot be presumed to be result of a failure of Electronic Voting Machine at the time of vote cast. The relevant paragraph 13 and 14 are reproduced hereunder:

“That the 23 EVM Machines which were not closed by the Polling Agents on the date of polling i.e. 20.2.2022 but the District Election Officer as well as Returning Officer without taking written permission from the Agent of contesting candidates illegally and arbitrarily decided for counting the 23 EVM Machines in additional 35 and 36 round without ensuring that the aforesaid 23 EVM Machines are tempered or not. For king perusal of this Hon’ble Court the chart of 23 places of Jasrana Constituency where EVM Machine were not closed and counted 35 and 36 round are given below:

35 Round of Counting

<i>Table No.</i>	<i>Polling Station</i>	<i>Name of Polling Station</i>
<i>Serial No.</i>		
1	2	3
1.	197	J.H.Sarai Matiya
2.	435	Primary P. Indaryee
3.	255	Primary P. Ghunpai, Room No. 2
4.	32	P.P. Bhujner, Room No. 2
5.	126	P.P. Kachhwai, Room No. 2
6.	308	P.P. Nijampur, Room No. 2.
7.	431	K-P.P. Baligarh Devjeet, Room No. 2.
8.	194	P.P. Ujirpur

1	2	3
9.	74	<i>P.P. Kadara, Room No. 2</i>
10.	452	<i>Janta V-Kataina Harsa, Room No. 2</i>
11.	285	<i>J.H. Shekhpur Hatwant</i>
12.	105	<i>Pawansut E.K.Sunav</i>
13.	106	<i>P.P. Ulaitpur</i>
14.	140	<i>Panchayatghar Andhpur</i>
<i>36 Round of Counting</i>		
1.	135	<i>P.P. Bhudgadda</i>
2.	470	<i>P.P. Sadipur</i>
3.	358	<i>K-P.P. Jasrana, Room No. 1</i>
4.	344	<i>P.P. Ghaghau Khurd</i>
5.	150	<i>P.P. Baupur Tapasya, Room No. 2</i>
6.	415	<i>Dayanand Saraswati Inter College Jajumai, Room No. 2</i>
7.	333	<i>J.H. Kheriya</i>
8.	221	<i>J.H. Machan</i>
9.	444	<i>P.P. Keshopur</i>

20. In order to find answer to objection raised as to maintainability for want of cause of action, it is necessary here to discuss the law on the point to find as to whether cause of action as such exists. Section 83 (1) of R.P. Act, 1981 in its entirety is reproduced hereunder:

“83. Contents of petition.—

(1) An election petition—

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(b) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice; and

(c) shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) for the verification of pleadings:

Provided that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of the allegation of such corrupt practice and the particulars thereof.

(2) Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition."

21. From a bare reading of the aforesaid provisions, it is clear that election petition must set-forth full particulars of corrupt practice and name of parties alleged to have committed such practice, date, place and the commission of such practice. The proviso further says that where corrupt practice is alleged petition should be accompanied by an affidavit on prescribed form in support of allegation of such corrupt practice and particulars thereof.

22. As far as provisions contained in proviso part are concerned, I do not find there to be any supportive affidavit of corrupt practice as such. There is only one affidavit in support of election petition in which consists of verification of various contents of the petition. There is no averment in the affidavit as to nature of corrupt practice as such, nor any application has been moved seeking leave to file such an affidavit. Still further, material facts as to corrupt practice and full particulars that were required to be pleaded and detailed out in the paragraph, supportive of the grounds, are also lacking in the present petition as which EVM machines of which election booths were managed by which particular election officers and who failed to seal. Any detail of any polling agent present at the time of sealing of EVMs, nor any detail of any person asking for verification from District Magistrate about non working of EVMs at the time of counting of votes and name of persons and polling agents to whom District Magistrate replied that EVMs were not sealed by the polling agents, have not been disclosed at all. In the absence of material particulars, it is difficult to hold that grounds themselves are sufficient to try the election petition. The laws relating to election petition have been repeatedly held by this Court as well as by Supreme Court to be strictly construed and looking to the provisions as contained in Section 83 of the R.P. Act, 1951, I find merit in the submissions advanced by Sri N.K.Pandey, that petition lacks concise statement of material facts particular *qua* corrupt practice. Further I observe that non compliance of provisions may render an election to be void but in order to try a petition on this ground one has to plead as to when and in what manner violation of relevant mandatory provision took place. The relevant provisions as contained under Section 49-T is reproduced hereunder:

"49T. Sealing of voting machine after poll.

(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed, and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so."

23. From a bare reading of the provisions as noted above, it clearly transpires that every political party may have its polling agent to affix his seal on behalf of party's candidate and for that permission will be granted and then further details have been given how the seal is to be put and how the unit to be detached and placed under seal. Nothing has been pleaded in the grounds or in supportive paragraphs to demonstrate particulars and statement of fact that opportunity to a particular polling agent was denied to put his seal or that the electronic voting machine was not sealed or taken away in absence and ignorance of a polling agent or that machine was placed at a place making it vulnerable to human intervention. In a recent judgment of this Court in the case of Prashant Kumar Singh (*supra*), this aspect relating to Section 83 of the R.P. Act has been discussed in detail. The relevant paragraph 68-69, 70,71 and 72 of the judgment are held thus:

“68. After discussing a great deal, authorities of the Supreme Court delivered from time to time vide 28 the Court summarize the law as under:

“28. The legal position enunciated in afore-stated cases may be summed up as under:-

i. Section 83(1)(a) of RP Act, 1951 mandates that an Election petition shall contain a concise statement of material facts on which the petitioner relies. If material facts are not stated in an Election petition, the same is liable to be dismissed on that ground alone, as the case would be covered by Clause (a) of Rule 11 of Order 7 of the Code.

ii. The material facts must be such facts as would afford a basis for the allegations made in the petition and would constitute the cause of action, that is every fact which it would be necessary for the plaintiff/petitioner to prove, if traversed in order to support his right to the judgement of court. Omission of a single material fact would lead to an incomplete cause of action and the statement of plaint would become bad.

iii. Material facts mean the entire bundle of facts which would constitute a complete cause of action. Material facts would include positive statement of facts as also positive averment of a negative fact, if necessary.

iv. In order to get an election declared as void under Section 100(1)(d) (iv) of the RP Act, the Election petitioner must aver that on account of non-compliance with the provisions of the Constitution or of the Act or any rules or orders made under the Act, the result of the election, in so far as it concerned the returned candidate, was materially affected.

v. The Election petition is a serious matter and it cannot be treated lightly or in a fanciful manner nor is it given to a person who uses it as a handle for vexatious purpose.

vi. An Election petition can be summarily dismissed on the omission of a single material fact leading to an incomplete cause of action, or omission to contain a concise statement of material facts on which the petitioner relies for establishing a cause of action, in exercise of the powers under Clause (a) of Rule 11 of Order VII CPC read with the mandatory requirements enjoined by Section 83 of the RP Act.”

69. The court in that case was dealing with ground as contemplated under Section 100 (1)(d) (iv) of the R.P. Act to declare election of the returned candidate void. The bone of contention was, as the Court observed, with regard to certain financial issues relating to income tax dues of her spouse where she had mentioned ‘No’ and then she stated that her spouse had bank accounts in Singapore with deposits in dollar in further columns prescribed for under form 26 but status of income tax was not disclosed. The Court held election petition carried bald allegations as to the statement of facts. The concise statement of facts and setting-forth of particular was absolutely vague so much so that no prima facie view could be formed as to the allegations made so to hold that there was complete cause of action to maintain election petition.

Vide 31, 32 and 33 the Court held :

“31. Mere bald and vague allegations without any basis would not be sufficient compliance of the requirement of stating material facts in the Election Petition. As well settled not only positive statement of facts, even a positive statement of negative fact is also required to be stated, as it would be a material fact constituting a cause of action. The material facts which are primary and basic facts have to be pleaded by the Election petitioner in support of the case set up by him to show his cause of action and omission of a single material fact would lead to an incomplete cause of action, entitling the returned candidate to pray for dismissal of Election petition under Order VII Rule 11(a) CPC read with Section 83(1)(a) of the RP Act.

32. It is also significant to note that an affidavit in Form 26 along with the nomination paper, is required to be furnished by the candidate as per Rule 4A of the said Rules read with Section 33 of the said

Act. The Returning Officer is empowered either on the objections made to any nomination or on his own motion, to reject any nomination on the grounds mentioned in Section 36(2), including on the ground that there has been a failure to comply with any of the provisions of Section 33 of the Act. However, at the time of scrutiny of the nomination paper and the affidavit in the Form 26 furnished by the Appellant-returned candidate, neither any objection was raised, nor the Returning Officer had found any lapse or non-compliance of Section 33 or Rule 4A of the Rules. Assuming that the election petitioner did not have the opportunity to see the Form No. 26 filled in by the Appellant-returned candidate, when she submitted the same to the Returning Officer, and assuming that the Returning Officer had not properly scrutinized the nomination paper of the appellant, and assuming that the election petitioner had a right to question the same by filing the Election petition under Section 100(1)(d)(iv) of the said Act, then also there are no material facts stated in the petition constituting cause of action under Section 100(1)(d)(iv) of the RP Act. In absence of material facts constituting cause of action for filing Election petition under Section 100(1)(d)(iv) of the said Act, the Election petition is required to be dismissed under Order VII Rule 11(a) CPC read with Section 13(1)(a) of the RP Act.

33. As elaborately discussed earlier, Section 83(1)(a) of RP Act mandates that an Election petition shall contain a concise statement of material facts on which petitioner relies, and which facts constitute a cause of action. Such facts would include positive statement of facts as also positive averment of negative fact. Omission of a singular fact would lead to incomplete cause of action. So far as the present petition is concerned, there is no averment made as to how there was noncompliance with provisions of the Constitution or of RP Act or of the Rules or Order made thereunder and as to how such non-compliance had materially affected the result of the election, so as to attract the ground under Section 100(1)(d)(iv) of the RP Act, for declaring the election to be void. The omission to state such vital and basic facts has rendered the petition liable to be dismissed under order VII, Rule 11(a) CPC read with Section 83(i)(a) of the RP Act, 1951."

70. Applying the above principle to the facts stated in various paragraph in support of the ground on the aspects of movable and immovable property running from ground to paragraph 12,13,14,15,16 and 17 in the present election petition, I find that those details though have already been given, of returned candidate of statement of accounts etc. but in the absence of affidavit filed in support of nomination paper and the affidavit on form 26 as well, it could not be concluded even prima facie that there was any concealment of material facts and particular details indicating corrupt practice in question so as to hold the election petition disclosed a substantial ground to entertain it. Entire bundle of facts that have been stated in paragraphs of the petition, even if are examined very minutely with microscopic eyes, would only lead to a conclusion then that certain statements of facts made regarding criminal antecedents with certain particulars and details regarding immovable properties but what kind of concealment, what kind of misleading statement of suppressed material accounted to in the nomination papers are absolutely vague.

71. One of the arguments could be that, even if material facts are disclosed and material particulars are lacking to some extent then material facts that constitute cause of action would hold petition maintainable. This argument was also advanced by learned counsel appearing for the election petitioner in the case of petitioner V. Narayanswami (supra) as were referred to, which is reproduced hereunder:

"27. It is contended by Mr Bhandare that all the material facts have been stated in the election petition and that for lack of material particulars, the petition could not have been thrown out at the threshold. He said opportunity should have been given to the appellant to supply the material particulars. It is really a strange proposition to advance. Till the date of the impugned judgment, the appellant had persisted that the petition did not lack material particulars and that the verification was in accordance with the Code and the affidavit in support of the corrupt practice in the form prescribed. Admittedly, the petition lacked material particulars, the verification to the petition was not in accordance with the Code and the affidavit did not conform to the form prescribed. At the first opportunity, the respondent raised objection

that the petition lacked both material facts and the material particulars and that the verification to the petition and the affidavit were not in accordance with law. This was repeated in the miscellaneous application (Original Application No. 298 of 1998). In the counter-affidavit and in the reply to the miscellaneous application, the appellant persisted in his stand and termed the objections raised by the respondent as irrelevant. It is not that the appellant did not have the opportunity to correct his mistake which he could have easily done in the rejoinder filed by him to the counter-affidavit of the respondent or even his reply to the miscellaneous application (OA No. 298 of 1998). He had every opportunity even at that stage to supply the material particulars which admittedly were lacking and also to amend the verification and to file the affidavit in the form prescribed but for reasons best known to him, he failed to do so. The existence of material facts, material particulars, correct verification and the affidavit are relevant and important when the petition is based on the allegation of corrupt practice and in the absence of those, the court has jurisdiction to dismiss the petition. The High Court has undoubtedly the power to permit amendment of the petition for supply of better material particulars and also to require amendment of the verification and filing of the required affidavit but there is no duty cast on the High Court to direct suo motu the furnishing of better particulars and requiring amendment of the petition for the purpose of verification and filing of proper affidavit. In a matter of this kind the primary responsibility for furnishing full particulars of the alleged corrupt practices and to file a petition in full compliance with the provisions of law is on the petitioner. (See in this connection the Constitution Bench decision in Bhikaji Keshao Joshi v. Brijlal Nandlal Biyani [AIR 1955 SC 610 : (1955) 2 SCR 428] SCR at p. 144.)"

72. However, the Court in that case after going through every details discussed in the petition came to finally hold that petition not only lacked material facts but also lack material particulars with the effect that there was defective verification and affidavit was also not in the form prescribed order and hence confirmed the order of the High Court rejected the election petition vide paragraph 30 and 31 thus:

"30. It will thus be seen that the election petition not only lacked the material facts, it lacked material particulars, defective verification and the affidavit filed was not in the form prescribed. Moreover, the ingredients of corrupt practices, as defined in Section 123(1)(B) and 123(2) of the Act are also lacking. It is also not the case of the appellant that any MLA whom the appellant could not meet, received any gratification, as defined, whether as a motive or a reward for voting or refraining from voting, or there was any inducement or attempt to induce any such MLA to vote or refrain from voting. Also it is not the case of the appellant that any undue influence was exercised with the free exercise of any electoral right of any MLA which right, as noted above, has been defined in clause (d) of Section 79 of the Act. There is no allegation if any particular MLA was induced to vote or not to vote in a particular way because he was entertained or otherwise. The allegation is that the appellant himself could not meet the MLAs and he believed that if he had been given a chance to meet them he would have influenced their vote in his favour and against their party of affiliations. There is no allegation that the MLAs were prevented or influenced from freely exercising their electoral right. As stated earlier the appellant did not show as to why he could not meet the MLAs on 2-10-1997 when they were available in Pondicherry. The material fact must be that the appellant was prevented from meeting the MLAs which he did not allege and as to how he was so prevented would constitute material particulars.

31. The election petition read as a whole did not disclose any cause of action or triable issue. Considering the facts of the case and the principles of law applicable, the election petition was rightly dismissed by the High Court in limine"

24. The law as discussed above and propounded by Courts, if applied to the facts of the case in hand, it can be conclusively held and is held as well that election petition lacks material facts and full particulars as to the alleged corrupt practice to constitute a cause of action to hold trial. Thus election petition fails on the touchstone of Section 83 of the R.P. Act, 1951

24. In view above, therefore, I find merit in the application filed under Order VII Rule 11 (a) of the Code of Civil Procedure, 1908 and accordingly the same is allowed.

26. The election petition stands rejected accordingly.

Order Date :- 12.11.2024.

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 06 जून, 2026 ई० (ज्येष्ठ 16, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय नगर निगम, लखनऊ

दिनांक 16 अप्रैल, 2026

सं० 03/न०आ०/लाइसेंस/2026-27-निम्न विवरण में क्रम सं०-01 से 11 तक उल्लिखित मदों में पूर्व से अनुज्ञप्ति शुल्क उदगृहण एवं संग्रहण हेतु प्रभावी उपविधि में निर्धारित एवं समय-समय पर पुनरीक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क की धनराशि को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 (41) व 546 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मा० सदन नगर निगम लखनऊ की बैठक दिनांक 30.08.2024 स्थगित बैठक दिनांक 02.09.2024 में संकल्प सं०-75 द्वारा कुल 10 मदों पर पूर्व निर्धारित दरों का पुनरीक्षण करने तथा मा० सदन की बैठक दिनांक 09.09.2025 में संकल्प सं०-137 माडल शाप की पूर्व निर्धारित दरों का पुनरीक्षण करते हुये प्रस्तावित शुल्क की धनराशि निर्धारित किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" व "अमर उजाला" में दिनांक 14.12.2025 को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों को संकलित कर मा० सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 में प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। मा० सदन द्वारा संकल्प सं०-174 के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण करते हुये कुल 11 मदों की प्रस्तावित दरों को निम्न संशोधनों सहित अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. मा0 सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 द्वारा संकल्प संख्या-174 के द्वारा निम्न संशोधनों सहित अन्तिम रूप से निर्धारित दरें :-

क्र० सं०	नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मदवार	नगर निगम द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित दरें (वार्षिक)
1	2	3
		रूपये
1	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 50 बेड तक	15000.00
2	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 51 बेड से 100 बेड तक	30000.00
3	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 101 बेड से 250 बेड तक	40000.00
4	नर्सिंग होम/प्रसूति गृह/प्राइवेट अस्पताल 251 बेड से 500 बेड तक	70000.00
5	पैथालॉजी (सैम्पल कलेक्शन)	10000.00
6	डायग्नोस्टिक सेन्टर/एक्सरे/अल्ट्रासाउण्ड/ब्लड बैंक	20000.00
7	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक क्लीनिक	8000.00
8	होटल गेस्ट हाउस 20 बेड तक	8000.00
9	होटल गेस्ट हाउस 20 बेड से ऊपर	10000.00
10	रेस्टोरेन्ट/जलपान गृह/ईटिंग हाउस	6000.00
11	माडल शाप	85000.00

उक्त के सम्बन्ध में नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु लाइसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि करने के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 जून तक बिना विलम्ब शुल्क जमा तथा उसके पश्चात लाइसेन्स हेतु आवेदन करने पर अर्धदण्ड विलम्ब शुल्क पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार वसूल किया जाना प्रस्तावित है।

(ह०) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय नगर निगम, लखनऊ

दिनांक 16 अप्रैल, 2026

सं० 04/न०आ०/लाइसेंस/2026-27-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 2, सन् 1959) की धारा 438, 451, 452, 541, 544 की उपधारा (451) तथा उपधारा (452) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा में संचालित की जाने वाली कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु मा० सदन की बैठक दिनांक 09.09.2025 में स्वीकृत संकल्प सं०-137 द्वारा कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) पर नियंत्रित उपविधि-2026 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" व "हिन्दुस्तान" में दिनांक 14.12.2025 को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। निर्धारित 15 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों को संकलित कर मा० सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 में प्रस्ताव विचारार्थ

प्रस्तुत किया गया था। मा0 सदन द्वारा संकल्प सं0-175 के अन्तर्गत आपत्तियों का निस्तारण करते हुये प्रस्तावित उपविधि को अन्तिम रूप से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

मा0 सदन की बैठक दिनांक 27.01.2026 में संकल्प संख्या-175 द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत उपविधि-2026

नगर निगम, लखनऊ

फरवरी 2026 ई0

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2, सन् 1959) की धारा 438, 451, 452, 541, 544 की उपधारा (451) तथा उपधारा (452) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा में संचालित की जाने वाली कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.09.2025 में स्वीकृत संकल्प सं0-137 द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिसके क्रम में नगर निगम लखनऊ उपविधि बनाने का प्रस्ताव करता है, जो निम्नानुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543 की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

लखनऊ नगर निगम कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) पर नियंत्रण उपविधि, 2026

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

- (1) यह उपविधि "लखनऊ नगर निगम कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) पर नियंत्रण उपविधि 2026" कहलायेगी।
- (2) यह नगर निगम की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषाये-(1) विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में---

- (क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0-2 सन् 1959) से है।
- (ख) "अनुज्ञप्ति व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) चलाये जाने हेतु नगर निगम के नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।
- (ग) "अनुज्ञा पत्र" का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा पत्र से है।
- (ङ) "नगर निगम" का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है।
- (च) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

- (2) ऐसे शब्दों और पदों का जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

3-प्रतिषेध-(I) कोई भी व्यक्ति नगर निगम की सीमा में किसी भी स्थान पर किसी कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) का संचालन नहीं करेगा या करायेगा, जब तक उक्त प्रतिष्ठान के यथास्थिति स्वामी अथवा संचालक द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गई हो।

(II) नगर निगम की सीमा में किसी भी स्थान पर नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना न तो किसी भवन या परिसर का कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) के रूप में प्रयोग किया जायेगा और न ही किसी नये प्रतिष्ठान का निर्माण किया जायेगा।

(III) समस्त हितबद्ध पक्ष को अन्य विभागों से सम्बन्धित विभाग में प्रभावी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से अनुज्ञप्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। अन्यथा की दशा में नगर निगम द्वारा प्रथम दृष्टया ही आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा किया गया शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।

(IV) यदि किसी हितबद्ध पक्ष के द्वारा नगर निगम के द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी यदि नगर निगम की वेबसाइट <https://e-nagarsewaup.gov.in> पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत आवेदन कर अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नगर निगम कोष में नहीं किया जाता है तो अनुज्ञप्ति शुल्क की वसूली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में सम्पत्ति करों के वसूली हेतु उपबन्धित रीति से किया जायेगा। जिसमें धारा 504 से 514 तथा 516 से 519 तक के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार वसूल की जायेगी, मानो वह कोई कर हो।

(V) साथ ही नगर निगम के द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठानों को नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी यदि लाइसेंस नहीं बनवाये जाते हैं तो आगामी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित प्रतिष्ठानों से निर्धारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि भू-राजस्व (आर0सी0) की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

4— आवेदन पत्र का परीक्षण एवं जांच—वेबसाइट <https://e-nagarsewaup.gov.in> के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व नगर आयुक्त द्वारा सम्बन्धित प्रतिष्ठान यथा कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) चलाये जाने के स्थल और वाहनों के खड़े होने के लिये यथोचित स्थान यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न न होने, पर्यावरण प्रदूषित न होने व अन्य सुसंगत बिन्दुओं पर जांच करायेगे और यदि कोई भी प्रदूषण निहित हो तो उस स्थिति में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी।

5—अनुज्ञा शुल्क और उसकी अवधि—प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतयः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा आवेदक को नगर निगम सीमा में कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) का कार्य करने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाइसेंस निलम्बित या निरस्त कर दिया जाये। नगर निगम द्वारा पूर्व से विभिन्न मदों के लिये लागू अनुज्ञप्ति शुल्क के अतिरिक्त प्रस्तावित मद व अनुज्ञप्ति शुल्क/नवीनीकरण शुल्क का विवरण निम्नवत् है:—

क्र० सं०	अनुज्ञा का नाम	अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क
1	2	3
1	कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर)	75000 /—

6—अनुज्ञा पर विलम्ब शुल्क—प्रत्येक वित्तीय वर्ष माह अप्रैल से जून तक अनुज्ञा जमा न किये जाने की दशा में विलम्ब शुल्क निम्नानुसार देय होगा:—

(क) दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक 5 प्रतिशत।

(ख) दिनांक 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक 10 प्रतिशत।

(ग) दिनांक 01 जनवरी से 31 मार्च तक 15 प्रतिशत।

7-अनुज्ञा का नवीनीकरण- (क) अनुज्ञा 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिये होगी और वर्ष में किसी भी माह में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(ख) अनुज्ञा का नवीनीकरण नगर आयुक्त के पूर्णतयः संतुष्ट हो जाने पर ही किया जायेगा।

(ग) नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अप्रैल से जून मास तक प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर निगम कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये गये होने की रसीद संलग्न की जायेगी। 30 जून के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर निर्धारित विलम्ब शुल्क देय होगा जो आवेदन पत्र के साथ ही जमा किया जायेगा।

8-अनुज्ञा का निलम्बन/निरस्तीकरण- यदि किसी भी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी समय उपर्युक्त शर्तों सहित लाइसेंस में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य का उल्लंघन करता है अथवा उसके किसी भी कार्य से यातायात में अवरोध, पर्यावरण प्रदूषण अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रदूषण होना सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में उस अनुज्ञाधारक को अनुज्ञा का बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसी अनुज्ञा सदा के लिये निरस्त कर दी जायेगी।

9-निषेध- अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने के उपरान्त उक्त अनुज्ञा के अधीन कम्पोजिट शाप (अंग्रेजी+बियर) का कार्य/व्यवसाय नगर निगम सीमा में जारी नहीं रखा जा सकेगा।

10-शास्ति- अधिनियम की धारा 550 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके लखनऊ नगर निगम एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन जुर्माना जो रु-10,000.00 तक हो सकता है और उल्लंघन की दशा में जुर्माने से, जो प्रथम दोष सिद्धि की दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें यह साबित हो जाये कि अपराधी ने अपराध जारी रखा है, रु-500.00 प्रतिदिन हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(ह0) अस्पष्ट,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, लखनऊ।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, उन्नाव

11 फरवरी, 2025 ई0

सं0 4048/अधि0अधि0/2024-25/5952-नगर पालिका परिषद उन्नाव द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 एवं उसमें दी गयी उपधाराओं तथा शासन समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामलों के लिये फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2024 उपविधि बनाई गयी हैं। जिसका प्रकाशन कार्यालय पत्रांक 690/अधि0अधि0/2024-25/690 दिनांक 28 नवम्बर, 2024 द्वारा दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला व दैनिक उन्नाव टाइम्स में प्रकाशित कराकर आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। जिसका निस्तारण करते हुये निम्नानुसार उपविधि प्रख्यापित की जाती है।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

1- यह उपविधि नगर पालिका परिषद उन्नाव के ऑनसाइट स्वच्छता व्यवस्था के अन्तर्गत घर/भवन/प्रतिष्ठान में ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (सेप्टिक टैंक/पिट/सोख्ता) के संग्रहण, ढुलाई और उससे जुड़े मामला हेतु फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2024 के नाम से जानी जायेगी।

- 2— “नगर पालिका परिषद” का तात्पर्य कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव से है।
- 3— “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उन्नाव के अधिशाली अधिकारी से है।
- 4— “प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उन्नाव के प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष से है।
- 5— “प्रशासक/बोर्ड” का तात्पर्य नगर पालिका परिषद उन्नाव के प्रशासक/निर्वाचित बोर्ड से है।
- 6— “अधिनियम” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- 7— उपविधि पर नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय 5 में विहित प्राविधान एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों के साथ-साथ समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत नियम एवं दिशा-निर्देश पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रभावी होंगे।
- 8— “भवन स्वामी” शब्द का आशय उस व्यक्ति से है जो भवन/भूमि का वैधानिक स्वामी है। ऐसा व्यक्ति उस भवन का स्वयं अध्यासी भी हो सकता है।
- 9— “अध्यासी” शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से है, जो वर्तमान में उस भवन/भूमि पर निवास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भवन स्वामी भी हो सकता है।
- 10— सफाई-कर, शुल्क, प्रशुल्क आदि से सम्बन्धित उपबन्ध अधीन प्रस्तावित किसी भी नियम/अदायगी के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद एवं कर-दाता के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण में अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद का निर्णय मान्य होगा।
- 11— किसी भी वाद का न्यायिक क्षेत्राधिकार जनपद-उन्नाव होगा।
- 12— इस उपविधि के अन्तर्गत दण्ड स्वरूप लगाये गये किसी भी धनराशि पर अधिकतम छूट 15 प्रतिशत से अधिक अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जायेगा।

क्षेत्र (स्कोप)

यह उपविधि नगर पालिका परिषद उन्नाव, की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमें सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या नगर पालिका परिषद उन्नाव, भवनों पर लागू होगा।

अध्याय-I

प्रारंभिक

2— परिभाषा—

- i— “फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)” का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र,
- ii— “को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी” का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फीकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो,
- iii— “ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओएसएस)” ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक/सरकारी आवास और उसके आस-पास के भू-खंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भू-खंड पर स्वच्छता ‘घरेलू शौचालय’ के समान है, लेकिन इसमें एक ही भू-खंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधायें हो सकती हैं,

iv— "ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है,

v— "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओएसएस को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

vi— "सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजाइन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

vii— "सीवेज उपचार संयन्त्र" का अर्थ उस स्थान से है जहां सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण

3— परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबन्धन और निस्तारण— निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्,

i— यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा करे।

ii— अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

iii— यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाये, जिसमें सेप्टिक टैंक या टिवन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

iv— वे परिपत्तियाँ जिनके परिसर के भीतर 2000 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/पलशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ—

4— ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव—

i— ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आईएस कोड 2470 भाग 1 और 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा, या इसके समय समय पर किये गये संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद उन्नाव, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

ii— ओएसएस से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओएसएस से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिये जिम्मेदार होंगे।

iii— परिसर का मालिक नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

iv— परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

v— परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद उन्नाव, के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण—

5— निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस—

i— नगर पालिका परिषद उन्नाव, वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराये पर लिए गये वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

ii— नगर पालिका परिषद उन्नाव, अपने कर्मियों सहित ओपरेटरों के लिए आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहाँ उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जायेगा।

iii— जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

iv— नगर पालिका परिषद उन्नाव, ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

v— इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जायेगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

6— लाइसेंस जारी करने की शर्तें

i— लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के अनुसार परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

ii— आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

iii— उन्नाव में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाणपत्र होगा।

iv— आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद उन्नाव, के साथ पंजीकृत करेगा।

v— आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गये वैक्यूम टैंकर इन विनियमों में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

vi— आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद उन्नाव, या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

vii— आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जायेगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पीपीई इस उपविधि के अनुसार होगा।

7— लाइसेंस के लिए आवेदन— फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफएसएस का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटन का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा।

8— लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण— लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

9— लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क— नये निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जायेगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10— पंजीकरण के शुल्क और वैधता—

i— ऑपरेटर के रूप में नये निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 2,000/-

ii— पंजीकरण की वैधता पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 02 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

iii— लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क रु0 1,000/-

11— लाइसेंसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन— नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइसेंसशुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जायेगा।

12— जागरूकता अभियान— इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा लोगों को केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाये जायेगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13— संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइसेंसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जायेगा—

i— भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद उन्नाव, के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

ii— मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा।

14- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/दुलाई का शुल्क-

i- समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और दुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

ii- शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

iii- लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से निकाय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

iv- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और दुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जायेगा।

15- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई के वाहन-

i- फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और दुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद उन्नाव, के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जायेगा।

ii- आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 02 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, संबंधित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

iii- डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल दुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जायेगा।

iv- ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद उन्नाव, वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जायेगा।

v- वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और "मलकुंड अपशिष्ट" (हिंदी में) लिखा होगा।

vi- फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जीपीएस उपकरण (निकाय द्वारा प्रदत्त) लगाया जायेगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी को होगा और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए निकाय द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16- दुलाई के दौरान सावधानी- लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक दुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17- दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय- फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18- दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी- किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किये जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान लाइसेंसधारी ऑपरेटर को ही करना होगा।

19— नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय— हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20— फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण—

i— लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

ii— लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा।

iii— होस्ट यूएलबी ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यूएलबी क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21— निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार—

i— निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) (परिशिष्ट-7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यूएलबी बन जायेगा।

ii— नगर पालिका परिषद उन्नाव, होस्ट यूएलबी से जुड़े यूएलबी क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किये गये वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

iii— नगर पालिका परिषद उन्नाव, वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

iv— संग्रहीत किये जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा किया जायेगा।

v— होस्ट यूएलबी अन्य क्लस्टर यूएलबी या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

vi— एमओयू अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यूएलबी" को लगे कि क्लस्टर यूएलबी/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यूएलबी कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22— निकाय (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य—

i— निकाय या ग्राम पंचायत जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है वह नगर पालिका परिषद उन्नाव होस्ट यूएलबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यूएलबी के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यूएलबी का सदस्य बनेगा।

ii— निकाय या ग्राम पंचायत (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

iii— यदि निकाय होस्ट यूएलबी के क्लस्टर यूएलबी की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

iv— नगर पालिका परिषद उन्नाव, विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

v— होस्ट यूएलबी संग्रहीत किये जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोये जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

vi— यदि "होस्ट यूएलबी" की क्षमता क्लस्टर यूएलबी के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद उन्नाव, को एक नए "होस्ट यूएलबी" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23— कर्मियों का प्रशिक्षण— लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सावधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24— कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच— यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दंड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25— बीमा— लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या 583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जायेगा।

26— जुर्माना/अर्थदण्ड/लाइसेंस रद्द किया जाना— इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास ऐक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंसधारी ऑपरेटर ऐसे जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होंगे जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो एवं डिस्लज ऑपरेटर द्वारा ओएसएस से एकत्र किये गये स्लज पालिका द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने की बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों/जलाशयों (पोखर, तालाब, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गद्दो) आदि पर किये जाने की स्थिति में लाइसेंस को रद्द करना और कार्यबल या निर्दिष्ट अधिकारियों को सिफारिश के अनुसार परफारमैस गारण्टी को जब्त करना शामिल होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27— फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण— नगर पालिका परिषद उन्नाव, जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिये अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

28— औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है— अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्याय-VII**प्रशासन और प्रवर्तन****29— प्रशासन और प्रवर्तन—**

i— इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, अथवा नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत निकाय के अभिहित अधिकारी के पास रहेंगी।

ii— नगर पालिका परिषद उन्नाव, फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवायें प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

iii— नगर पालिका परिषद उन्नाव, शहरी स्वच्छता समिति (CSC) का गठन करेगा जो निकाय प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

iv— नगर पालिका परिषद उन्नाव, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमर्जन्सी रिसपॉस सैनिटेशन यूनिट (ईआरएसयू) नियुक्त करेगा।

30— जांच के लिए विशेष शक्ति— इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद उन्नाव, के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

31— नियम उल्लंघन और जुर्माना—

i— इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जायेगा।

ii— किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति— (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है। (ग) किसी भी ओएसएस/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

iii— इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दण्डित किया जायेगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जायेगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाये जाने की स्थिति में एफएसएस निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

iv— जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर नगर पालिका परिषद उन्नाव, द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा।

v— संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दण्डनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दण्डित करने से नहीं रोकेगा।

32— अपील— निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत अधिशाली अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है।

33— विवाद समाधान उपविधि— इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर (नगर पालिका परिषद उन्नाव) के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जायेगा।

34— फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन— मानक प्रक्रिया का पालन करते हुये आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

35— डीस्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार— अच्छे काम और व्यवहार के लिये निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिये फीकल स्लज निकासी (डीस्लजिंग) ऑपरेटरों के लिये सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

36— उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश— इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिये बीआईएस कार्य संहिता प्रदान करता है (आईएस 2470 (भाग 1) 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिये यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिये यह आबादी को ध्यान में रखते हुये डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एमओएचयूए के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मल-जल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओएसएस पर व्यापक डिजाइन मानक दिये गये हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिये इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताये गये हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिये ही हाइलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ता की संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अंतराल)
1	2	3	4
	मीटर—	मीटर—	मीटर—
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1— सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिये। इस बारे में जानकारी के लिये, कृपया बीआईएस 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2— फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिये।

स्रोत— सीवरेज और मल-जल उपचार पर मैनुअल-भाग ए: इंजीनियरिंग। सीपीएचईईओ, 2012

परिशिष्ट-2

नगर पालिका परिषद उन्नाव में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की दुलाई सेवा के लिये उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की सूची (अनुमानित)

क्रम सं०	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये—
1.	कच्चाघर/झोंपड़ी	350
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750
3.	सभी अन्य घर (पक्काघर)	1,200
4.	दुकान	1,500
5.	सभी सरकारी/निजी कार्यालय	1,800
6.	बैंक	2,000
7.	सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय	800
8.	रेस्टोरेंट	2,000
9.	होटल/गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000
10.	होटल/गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500
11.	होटल/गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1,200
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800
14.	3-स्टार होटल	2,800
15.	5-स्टार होटल	3,500
16.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,000
17.	सरकारी स्कूल/कॉलेज (1000 से अधिक छात्र)	1,200
18.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	1,800
19.	निजी स्कूल/कॉलेज (1000 छात्र तक)	2,500
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1,800
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,800
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500

1	2	3
		रुपये—
24.	मल्टीप्लेक्स	2,000
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,800
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,200
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000
29.	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2,500
30.	बार	2,500
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,800
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,800
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,800
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,200
35.	पैथोलॉजिकल लैब	1,500
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2,500
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,000
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,000

नोट—

1— उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

परिशिष्ट-4

फॉर्म 1— नगर पालिका परिषद उन्नाव में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिये लाइसेंस आवेदन पत्र।

नियम और शर्तें—

1— फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2— निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिये शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3— फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिये अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4— लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयन्त्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5— फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचालन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिये किसी भी खतरे से बचने के लिये पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6— अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयन्त्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7— फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिये उपयोग किये जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8— वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लाल रंग में सावधानी के साथ 'septic tank waste' (अंग्रेजी में) और 'मलकुण्ड अपशिष्ट' (हिंदी में) लिखा होगा।

9— प्रभावी सफाई सेवायें प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिये लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

10— उपरोक्त बिन्दुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिये उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक की सुरक्षा जप्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिये निर्धारित दण्ड का भुगतान करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-7

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयन्त्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप

फॉर्म 4— "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयन्त्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिये समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयन्त्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (नगर पालिका परिषद उन्नाव) के बीच समझौता ज्ञापन के लिये फॉर्म

फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन के तहत, निकाय (संपर्क करने वाले निकाय का नाम) जो नगर पालिका परिषद उन्नाव की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियन्त्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिये, "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद उन्नाव) के प्रशासन के तहत "उपचार संयन्त्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (नगर पालिका परिषद उन्नाव)

द्वितीय पक्ष "..... यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबन्ध—

1— यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयन्त्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2— "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिये अपने "उपचार संयन्त्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3— यह कि “द्वितीय पक्ष” समझ के अनुसार “प्रथम पक्ष” को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु० 2,000/- प्रति 15 कि०मी० की परिधि के अन्दर (15 कि०मी० से अधिक दूरी होने पर रु० 25/- प्रति कि०मी० अतिरिक्त देय होगा।) देने के लिये सहमत होगा।

4— यह कि “प्रथम पक्ष” उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुँच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रख-रखाव बन्द आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5— यह कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएँ।

6— यह कि “द्वितीय पक्ष” केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7— प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर “द्वितीय पक्ष” की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

परिशिष्ट-8

जुर्माना और फाइन

क्रम सं०	विवरण	खण्ड संख्या	सांकेतिक फाइन सीमा	जुर्माना (रुपये या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये—	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	5	100	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिये गैर-अनुपालन	16, 17	1,000	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000	

1	2	3	4	5
			रुपये—	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित एफएसएस प्रवाहित करना	27, 28, 33	5,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000 प्रतिदिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	25,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	50,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	2,000 प्रतिदिन	वाहन की जब्ती

प्रोत्साहन

नगर पालिका परिषद उन्नाव के क्षेत्र में यदि कोई डी स्लजर/आपरेटर/भवन स्वामी द्वारा अपने फीकल स्लज को नगर सीमा में या नगर सीमा से 03 मील की दूरी पर खुले में डीस्लजिंग किया जा रहा है/डाला जा रहा है। जिसकी सूचना कोई नागरिक/संस्था/समूह द्वारा जी0पी0एस0 साक्ष्य के साथ नगर पालिका परिषद उन्नाव को दिया जाता है। जाँच में वह तथ्य सत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित डीस्लजिंग करने वाले आपरेटर/व्यक्ति के विरुद्ध रु0 25,000/- का जुर्माना लगाया जायेगा जिसमें से रु0 10,000/- की धनराशि सम्बन्धित सूचनादाता को प्रोत्साहन धनराशि इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये दिया जायेगा।

दण्ड एवं शास्ति

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद निश्चय करती है, नगर पालिका परिषद के आवासीय/अनावासीय भवनों से सम्बन्धित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्धन (FSSM) सफाई कर उपविधि, 2024 का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम की धारा-307 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। जिसमें रु0 1,000/- (रुपया एक हजार) तक जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा। जो सर्वप्रथम दोषसिद्धि के दिनांक या अधिशासी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये, जिसके बारे में सिद्ध हो जायें कि जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 25/- (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

(ह0) अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
उन्नाव।

कार्यालय, नगर पंचायत हेतिमपुर, देवरिया

19 जनवरी, 2026 ई0

सं0 228/न0पं0हेतिमपुर-उपविधि-2024-25—पत्राक संख्या-703/न0पं0 हेतिमपुर-2024-25 उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, हेतिमपुर द्वारा अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली, धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपने लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत हेतिमपुर में प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तत्कम में दैनिक समाचार-पत्र स्वतंत्र चेतना में दिनांक 30 नवम्बर, 2024 एवं स्वतंत्र जनमित्र में दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिन के अन्दर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसको मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 12 नवम्बर, 2024 को प्रस्ताव संख्या-02 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा—

उपविधि**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—**

(1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद-देवरिया की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद-देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाये—

(1) “अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद-देवरिया के अध्यक्ष से है।

(2) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद-देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।

(3) “नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद देवरिया से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(2) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

(3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं टेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4) नगर पंचायत सीमान्तगत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबन्धित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 तथा वाटर पॉल्यूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000.00 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के बचे हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग रु0 1,000.00 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

(10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबन्धित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रु0 1,000.00 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में— सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा रुपया 500.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।

(14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलोग्राम या इससे अधिक कूड़ें का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में कचरा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्रावधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़ें को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

2— गीले कूड़ें का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

3— सूखे कूड़ें को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

4— परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

5— परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T.) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैन्युअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।

(2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000.00 रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर की स्वयं की होगी।

(6) कार्यालय, नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओ0एस0एस0 (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में किये जाने पर जुर्माना/ अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन, जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाईसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 1,500.00 रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंचमार्क निम्नवत है—

अनुसूची

क्रम सं0	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये—
1.	केयर टेकर का नाम, मो0नं0, टॉयलेट आई0डी0, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2.	जल की उपलब्धता।	24 घण्टें	200

1	2	3	4
			रुपये—
3.	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था।	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल0ई0डी0 लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500
4.	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था।	समस्त शौचालयों में	500
5.	शिकायत निवारण की समय सीमा।	24 घण्टें में	100
6.	शौचालयों को ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7.	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता।	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8.	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई।	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9.	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चश्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10.	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता।	समस्त सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11.	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12.	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएं।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टीशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाएं जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नगर पंचायत के सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपषिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपषिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपषिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2,000.00 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपषिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामी को चिन्हित करते हुए जूरमाना धनराशि मु0 2,000 रुपये वसूल किया जाएगा।

4— प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबन्धन—

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपषिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है—

(क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैड़ी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे—कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, स्टीकर का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जूरमाना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है—

अनुसूची

क्रम सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जूरमाना धनराशि
1	2	3
		रुपये—
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम — 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम — 01 किलोग्राम	5,000

1	2	3
		रुपये—
(क) 4	01 किलोग्राम — 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/ होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजनकक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंके जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत हेतिमपुर,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत सलेमपुर, देवरिया

23 जनवरी, 2026 ई0

सं0 645/न0पं0 सलेमपुर-2025-26—पत्राक संख्या-619/न0पं0 सलेमपुर-2025-26 उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सलेमपुर द्वारा अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव होते अपने लिखित आपत्ति/ सुझाव नगर पंचायत सलेमपुर में प्रकाशन 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तत्कम में दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्र चिन्ह में दिनांक 07 जनवरी, 2026 एवं गोरखपुर केसरी में दिनांक 07 जनवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसको मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 22 जनवरी, 2026 को प्रस्ताव संख्या-02 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

विविधिकर (शुल्क) उपविधि 2025**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—**

- (1)— यह उपविधि “विविधिकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 कहलायेगी।
- (2)— यह उपविधि नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया की सीमा में लागू होगी।
- (3)— यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ—

- (1)— “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया के अध्यक्ष से है।
- (2)— “अधिकासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया के अधिकासी अधिकारी से है।
- (3)— “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1)— नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(2)— किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

(3)— किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चारुमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4)— नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 तथा वाटर पॉल्यूशन ऐक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000.00 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5)— किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(6)— सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण, सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के बचे हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7)— नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग वाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने

पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/ अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्व प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9)– गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00 रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(10)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1,000.00 रु0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में— सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500.00 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13)– डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।

(14)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलोग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15)– ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 में कचरा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्रावधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत है—

1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

2— गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

4— परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

5— परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशामें परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16)— बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1)— हाथ से मैला उठाने वाले (मैन्युअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में लालगोपालगंज जनपद प्रयागराज सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।

(2)— नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।

(3)— नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4)— नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000.00 रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5)— नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर की स्वयं की होगी।

(6)— कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7)— नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भूस्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन, जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 1,500.00 रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10)– सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11)– नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12)– कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंचमार्क निम्नवत है—

क्रम सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये—
1—	केयर टेकर का नाम, मो०नं०, टॉयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2—	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3—	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झास फैन द्वारा	500
4—	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500

1	2	3	4
			रुपये—
5—	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6—	शौचालयों को ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लैटफॉर्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7—	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000
8—	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9—	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रैशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10—	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टबिन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टबिन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11—	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12—	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्था।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाए जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस वेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1)— नगर पंचायत के सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2)— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3)— नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से

सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2,000.00 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1,500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4)– यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0 2,000 रुपये वसूल किया जाएगा।

4– प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन–

(1)– भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2)– 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3)– 1 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है–

(क)– पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख)– प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग)– जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रर का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्रम सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि
1	2	3
		रुपये–
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम – 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम – 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम – 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजनकक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंके जाने पर।	25,000

1	2	3
		रुपये—
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत सलेमपुर, जनपद देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

अध्यक्ष,
आदर्श नगर पंचायत सलेमपुर,
देवरिया।

कार्यालय नगर पंचायत मझौलीराज, देवरिया

23 मार्च, 2026 ई0

सं0 850/न0पं0मझौलीराज/2025-26—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एवं धारा-212क के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अपने सीमान्तर्गत की परिधि में भवन निर्माण, पुनः निर्माण या परिवर्तन की उपविधि 2025 प्रस्तावित करते हुये उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत “भवन निर्माण उपविधि 2025” प्रकाशन के पश्चात उपविधि की दर या अन्य सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह लिखित में अपनी आपत्ति/सुझाव इस प्रकाशन तिथि के 21 दिन के अन्दर नगर पंचायत मझौलीराज कार्यालय को प्रस्तुत कर सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत मझौलीराज द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में दिनांक 22 जनवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर 21 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 21 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

परिभाषायें

1— **संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद देवरिया ‘भवन निर्माण उपविधि 2025’ कहलायेगी।

2— **प्रसार**— इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद देवरिया की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी।

3— **प्रभाव**— यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4— नगर पंचायत मझौलीराज का तात्पर्य नगर पंचायत मझौलीराज देवरिया से हैं।

5— प्रशासक/अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत मझौलीराज के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष से हैं।

6— अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत मझौलीराज में कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

7— नगर पालिका अधिनियम 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है।

8— “बेसमेन्ट” का तात्पर्य भू-तल के नीचे या अंशतः भू-तल के नीचे के निर्माण से है।

9— “स्टिल्ट फ्लोर” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भो (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से हैं।

10— “आच्छादित क्षेत्रफल” का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित तल क्षेत्र से है, जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनायें आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होगी—

(क) बाग, राकरी, कुआं एवं कुये से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारो प्लेटफार्म, टैंक, फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा।

(ख) ड्रेनेज कवर्ट, कैच-पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।

(ग) चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनोपी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।

(घ) वाचमैन बूथ, पम्प-हाउस, गारबेज शाफ्ट, विद्युत केबिन एवं विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य ‘यूटीलिटीज स्ट्रक्चरर्स’।

11— “तल क्षेत्रफल” (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से हैं।

12— “तल क्षेत्रफल अनुपात” (एफ0ए0आर0) का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से हैं।

13— “निवास योग्य कमरें” का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो, किन्तु इसमें रसोईघर, स्नानगृह, शौचालय, बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किये जाते हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

14— “आवासीय भवन” के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे, जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो इसमें ‘एक’ अथवा ‘एक से अधिक’ आवासीय इकाई शामिल हैं।

15— “व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन” के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।

16— “व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन” के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, जो व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुषांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।

17— “कुर्सी” (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है, जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भूतल के फर्श तक हों।

18— “कुर्सी का क्षेत्रफल” से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेन्ट, भू-तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाये।

19— “सैट-बैक लाइन” का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिष्ट की गई हो और जिसके बाहर भू-खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

20— “भू-खण्ड” का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है, जो चारो ओर निश्चित सीमाओं से घिरा हों।

21— “कोने का भूखण्ड” का तात्पर्य उस भू-खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़को पर स्थित हों।

22— “मंजिल” का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

23— “सड़क” (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ-वे, संकरी गली (ऐले), रास्ते (पैसेज), कैरियर-वे, पगडण्डी (फुट-वे), स्क्वायर, खुले पुल, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हो, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने, गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हों, चाहे वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नाले, पुलिया, साइड वाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंग वाल, बैरियर एवं रेलिंग, जो ‘राइट-आफ-वे’ के भीतर हों शामिल होंगे।

24— “सड़क की चौड़ाई” का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा ‘राइट-आफ-वे’ से हैं।

25— “बरामदा” से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से है, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलों में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊँचाई तक के पैरापिट का प्रविधान हो।

26— ‘भवन की ऊँचाई’ से तात्पर्य आस-पास की भूमि के औसत सतह से भवन के अन्तिम तल के टेरेस से तक की ऊँचाई से हैं।

आवेदन-पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा।

27— मानचित्रों के तीन सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जायेंगे।

28— जमा किये जाने वाले मानचित्रों में ‘की प्लान’, ‘साइट प्लान’, ‘तलपट मानचित्र’ और ‘सर्विसेज प्लान’ भी शामिल होंगे।

29— समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किये जायेंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुये हस्ताक्षर किये जायेंगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।

30— नगर पंचायत मझौलीराज के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्टमैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

31— भवन के प्लान और एलीवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे, और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाये जायेंगे।

(क) समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरो के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।

भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग—

- मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।
- जल प्रवाहित शौचालय की व्यवस्था।

सूचनायें एवं दस्तावेज

- पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति।
- इन्तखाब।
- आधार कार्ड की छायाप्रति।
- आवेदक/आवेदिका की एक फोटो।
- रु0 10/- का ई-स्टाम्प पेपर।
- शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटोग्राफ।

- बैनामें की छायाप्रति।
- नजरी नक्शा जो सम्बन्धित लेखपाल के द्वारा जारी किया गया है।

नियम एवं शर्तें

- रु0 2/- प्रति वर्ग फुट सम्पूर्ण भूमि पर एवं प्रत्येक तल पर शुल्क आवासीय हेतु लिया जायेगा।
- रु0 4/- प्रति वर्ग फुट शुल्क भूमि पर एवं प्रत्येक तल पर शुल्क व्यावसायिक भवन हेतु लिया जायेगा।

नोट— मानचित स्वीकृत होने के उपरान्त आवेदक/आवेदिका को तीन वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सेट-बैक

- **आवासीय/व्यवसायिक भवन—** भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमत्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट होगी एवं सेट-बैक निम्नवत् होंगे—

भूखण्ड का क्षेत्रफल	सेट-बैक	
	अग्र भाग	पृष्ठ भाग
वर्गफुट	फुट	फुट
1500 तक	3	—
1501 से अधिक 3000 तक	5	3
3001 से अधिक 5000 तक	10	5

- कोने के भूखण्ड में सेट-बैक सम्बन्धित भूखण्ड के फ्रन्ट सेट-बैक के समान होगा।
- भवनों में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- **सेट बैक मे छुट—** खुले स्थान में छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
- 3000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 1500 से अधिक 3000 तक के भवनों में पृष्ठ सेट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमत्य होगा।
- 5000 से अधिक तथा निम्न (संस्थागत/सामुदायिक, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक भवन, कार्यालय भवनों, भण्डारण भवनों, होटल, थोक व्यवसायिक भवनों, चिकित्सा भवनों, सेवा-उद्योग आदि) के मानचित्र की स्वीकृति देवरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानको के अनुसार प्राधिकरण के अनुमति उपरान्त दी जायेगी।
- उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगा। आराजी पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि 300 मीटर के भीतर के भूमि/भवनों को मानत्रित स्वीकृति कराने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अन्य आन्तरिक संरचनायें

जीना—

- आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 10'' होगी। तथा अन्य भवनो में पैड़ी की चौड़ाई न्यूनतम 12'' होगी।

- आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होंगे तथा अन्य भवनो में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।

चहारदीवारी—

- सामने की कम्पाउण्ड दीवार की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
- पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी।
- कोने के भूखण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊँचाई 6 फुट से अधिक नहीं होगी।
- उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होंगे।

भू-गेह (बेसमेन्ट)—

- बेसमेन्ट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेन्ट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमन्य होगा।
- बेसमेन्ट का निर्माण बगल की संपत्तियों की स्ट्रक्चरल सेपटी सुनिश्चित करते हुए भूखण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमन्य होगा।

बेसमेन्ट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोषकक्ष, बैंक सेलर आदि।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जायें।

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज।

(च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।

- बेसमेन्ट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।
- बेसमेन्ट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जायेगा।
- बेसमेन्ट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
- सतह का पानी बेसमेन्ट में प्रवेश न करने पाये इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएँ

- जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएँ

निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी—

- अस्पताल तथा नर्सिंग होम।

- होटल ।
- अतिथि गृह ।
- विश्राम गृह ।
- छात्रावास ।
- महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थायें/प्रशिक्षण केन्द्र ।
- सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक ।
- सामुदायिक केन्द्र, बैक्वेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन ।
- 5000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन ।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षायें

समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किये जायेंगे ।

भुकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षायें

- भूतल सहित 3 मंजिल से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैंड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं क्लवर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल छविगृह, ऑडीटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाये, बस टर्मिनल आदि) पर भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षायें लागू होगी ।
- भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षरयुक्त भवन की नींव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे । साथ ही भवन निर्माण हेतु नियत प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी, पंजीकृति आर्किटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भुकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

अपराधो का शमन उपविधि

- मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाये जायेंगे 'फ्रन्ट', 'साइड' एवं पीछे के सेट बैक में अनाधिकृत निर्माण शमनीय होगा ।
- शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निर्धारित शुल्क द्वारा लिया जायेगा ।
- रु0 10/- प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा ।
- रु0 15/- प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जायेगा ।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत मझौलीराज,
देवरिया ।

कार्यालय नगर पंचायत पथरदेवा, देवरिया

23 मार्च, 2026 ई0

सं0 102/न0पं0पथरदेवा-2025-26-नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-अधिनियम की धारा 296, 297 और धारा 298 की उप-धारा (2) के खंड (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके अपनी सीमान्तगत की परिधि में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम-2021 के अनुपालन में विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली-2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की अधिनियम की धारा 298 की उप-धारा (2) के खंड (1) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात उपविधि की दर या अन्य सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपत्ति हो या सुझाव हो तो लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत पथरदेवा के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पथरदेवा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2026 के प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 24 जनवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयाविधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2026 के प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—**

(1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025” कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाये—

(1) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया के अध्यक्ष से है।

(2) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।

(3) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(2) किसी स्वामी के मरे हुए हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

(3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं टेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4) नगर पंचायत सीमान्तगत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 तथा वाटर पाल्यूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए रु0 2,000.00 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5) किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के गये हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैंलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैनबसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्व प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9) गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00 रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वाल पेंटिंग/वाल राइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लेटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए रु0 1,000 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में—सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जाएगा।

(14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलोग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्गमीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

- 1— परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।
- 2— गीले कूड़े का निस्तारण बायो गैस अथवा कम्पोस्टपिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।
- 3— सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

4— परिसर से निकलने वाले फूलपत्ती (Horticulture and Garden waste) जैसे अपशिष्ट का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

5— परिसर में निकलने वाले मलवो, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rules 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेंकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2— फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबंधन—

(1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैन्युअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।

(2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 05.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि रु0 50,000.00 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटरे स्वयं की होगी।

(6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओएसएस (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिकटैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थदण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 रु0 2,500.00 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्चस्तरीय नागरिक हितैषी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल बेंचमार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपरवाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्तिको सर्विस लेवल वेंचमार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंचमार्क निम्नवत है—

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मनक लक्ष्य	अर्थदण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये—
1	केयर टेकर का नाम, मो0 नं0, टोयलेट आई0डी0, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवार पर अंकित होना चाहिये	200
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल0ई0डी0 लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झासफैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लैटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1,000
7	दिव्यांग हितैषी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5,000

1	2	3	4
			रुपये—
8	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी पैड/नैपकिन वेण्डिंग मशीन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयरफ्रेशनर (ओडोनील) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाईकर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	स्मृचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी पैड/नैपकिन वेण्डिंग मशीन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी पैड/नैपकिन वेण्डिंग मशीन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाए।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टेशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाए जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉसवेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों नॉन बल्कवेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 या मोबाईल नम्बर-9450746359 पर सम्पर्क कर सूचित करते हुये निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0— रु0 2000.00 प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप रु0 1,500.00 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामी को चिन्हित करते हुए जूमाना धनराशि मु0 रु0 2,000.00 वसूल किया जाएगा।

4- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम-2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) 01 जुलाई, 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है—

(क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरवड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रार का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्रम सं0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरीबैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि
1	2	3
		रुपये—
(क) 1	100 ग्राम तक	1,000
(क) 2	101 ग्राम — 500 ग्राम	2,000
(क) 3	501 ग्राम — 01 किलोग्राम	5,000
(क) 4	01 किलोग्राम — 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाने पर।	25,000
(ग)	किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाना।	1,000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली-2025 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

‘यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली-2025 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2025 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत पथरदेवा,
देवरिया।

कार्यालय नगर पंचायत पथरदेवा, देवरिया

23 मार्च, 2026 ई0

सं0 103/न0पं0पथरदेवा/2025-26—उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे0डी0 एवं धारा-212क के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमान्तर्गत भवन निर्माण, पुनःनिर्माण या परिवर्तन की उपविधि 2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली की धारा 301 के अन्तर्गत “भवन निर्माण उपविधि 2025” प्रकाशन के पश्चात उपविधि की दर या अन्य सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह लिखित आपत्ति/सुझाव इस प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर नगर पंचायत पथरदेवा कार्यालय को प्रस्तुत कर सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत पथरदेवा द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2026 को प्रस्ताव संख्या-04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तत्क्रम में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं आज में दिनांक 24 जनवरी, 2026 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया, निर्धारित समयावधि 15 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2026 को प्रस्ताव संख्या-04 द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

परिभाषाएं—

1— **संक्षिप्त नाम**— यह नियमावली नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया की “भवन निर्माण उपविधि 2025” कहलायेगी।

2— **प्रसार**— इस उपविधि का प्रसार नगर पंचायत पथरदेवा, जनपद देवरिया की सम्पूर्ण सीमा (समय-समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित) में होगी।

3— **प्रभाव**— यह नियमावली शासकीय गजट में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4— नगर पंचायत पथरदेवा का तात्पर्य नगर पंचायत पथरदेवा देवरिया से है।

5— अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत पथरदेवा के अध्यक्ष से है।

6— अधिशाली अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत पथरदेवा में कार्यरत अधिशाली अधिकारी से है।

7— नगर पालिका अधिनियम 1916 से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 या उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधित अधिनियम से है।

8— “बेसमेन्ट” का तात्पर्य भू-तल के निचे या अंशतः भू-तल के नीचे के निर्माण से है।

9— “स्टिल्ट फ्लोर” का तात्पर्य प्लिन्थ से खम्भों (पिलर्स) पर बनी हुई संरचना जो न्यूनतम दो तरफ से खुली हो, फर्श से बीम तक अधिकतम ऊँचाई 7 फुट हो एवं पार्किंग के प्रयोजनार्थ अभिप्रेत होने से हैं।

10— “आच्छादित क्षेत्रफल” का तात्पर्य कुर्सी तल के ऊपर आच्छादित क्षेत्र से है, जिसके ऊपर भवन निर्माण हो। निम्नलिखित संरचनाएँ आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत शामिल नहीं होंगी।

(क) बाग राकरी, कुआँ एवं कुएँ से सम्बन्धित कोई संरचना, प्लान्ट नर्सरी, वाटरपूल, अनाच्छादित स्वीमिंग पूल, पेड़ के चारों प्लेटफार्म टैंक फाउन्टेन, बैंच, खुला चबूतरा।

(ख) ड्रेनेज क्लवर्ट, कैच-पिट, गलीपिट, चैम्बर, गटर, आदि।

(ग) चहादीवारी, प्रवेश द्वार, मंजिल रहित पोर्च एवं पोर्टिको, कैनापी, स्लाइड, झूला, अनाच्छादित सीढ़ी, अनाच्छादित रैम्प, आदि।

(घ) वाचमैन बूथ, पम्प-हाउस, गारबेज साफ्ट, विद्युत केबिन एवं विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य यूटीलिटीज स्ट्रक्चर्स।

11— “तल क्षेत्रफल” (फ्लोर एरिया) का तात्पर्य भवन के किसी तल पर आच्छादित क्षेत्रफल से है।

12— “तल क्षेत्रफल अनुपात” (एफ0ए0आर0) का तात्पर्य किसी भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल से भवन के कुल तल क्षेत्रफल को विभाजित करने से प्राप्त भागफल से है।

13— “निवास योग्य कमरें” का तात्पर्य अधिभोग के लिए अध्यासित अथवा अभिकल्पित कमरे से है, चाहे यह अध्ययन, रहने, शयन, खाने हेतु हो किन्तु इसमें रसोईघर, स्नानगृह, शैचालय, बर्तन साफ करने व रखने की जगह और स्टोर रूम, कारीडोर, बेसमेन्ट, बरसाती (अटिक) तथा अन्य स्थान जो प्रायः रहने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जातें हैं, सम्मिलित नहीं होंगे।

14— “आवासीय भवन” के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे, जिसमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शैचालय की सुविधा हो इसमें ‘एक’ अथवा ‘एक से अधिक’ आवासीय इकाई शामिल है।

15— “व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन” के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर विक्रय व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप जो व्यवसायिक की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों, सम्मिलित होंगे।

16— “कुर्सी” (प्लिन्थ) से तात्पर्य किसी संरचना के उस भाग से है, जो चारों ओर की भूमि की सतह से ठीक ऊपर हो तथा भूतल के फर्श तक हों।

17— “कुर्सी” का क्षेत्रफल” से तात्पर्य वह निर्मित क्षेत्रफल से है, जो बेसमेन्ट, भू-तल अथवा किसी मंजिल के फर्श तल पर नापा जाए।

18— “सैट-बैक लाइन” का तात्पर्य भू-खण्ड की सीमाओं के समानान्तर रेखा में है, जो भवन निर्माण उपविधि में निर्दिष्ट कि गई हो और जिसके बाहर भू-खण्ड की सीमाओं की ओर कोई निर्माण करना अनुमन्य न हो।

19— “भू-खण्ड” का तात्पर्य भूमि के उस भाग से है, जो चारों ओर निश्चित से घिरा हों।

20— “कोन के भूखण्ड” का तात्पर्य उस भू-खण्ड से है, जो दो या अधिक परस्पर काटने/मिलने वाली सड़को पर स्थित हों।

21— “मंजिल” का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल के सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल ना हो, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

22— “सड़क” (स्ट्रीट) का तात्पर्य स्ट्रीट, गली, लेन, पाथ-वे, संकरी गली (ऐले) रास्ते (पैसेज) कैरियर-वे, पगडण्डी (फुट-वे) स्कवायर खुले पुल चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हों या न हो, या जिसके ऊपर जनसाधारण को विकास कार्य के पूरा होने के बाद बिना किसी रोक-टोक के चलने, गुजरने का या आने-जाने का अधिकार हों, चाहें वह किसी योजना में विद्यमान हो या प्रस्तावित हो। उसमें सब प्रकार के बन्धे, स्टार्म वाटर ड्रेन, वर्षा जल के नालें, पुलिया, साइड वाल, ट्रैफिक आइलैण्ड, रिटेनिंग वाल, बैरियर एवं रेलिंग, जो ‘राइट-आफ-वे’ के भीतर हों शामिल होंगे।

23— “सड़क की चौड़ाई” का तात्पर्य सड़क की कुल चौड़ाई अथवा ‘राइट-आफ-वे’ से हैं।

24— “बरामदा” से तात्पर्य ऐसे आच्छादित क्षेत्रफल से हैं, जिसमें कम से कम एक पार्श्व बाहर की ओर खुला हो एवं ऊपर के तलो में खुले पार्श्व की ओर अधिकतम एक मीटर ऊँचाई तक के पैरापिट का प्राविधान हो।

25— “भवन की ऊँचाई” से तात्पर्य आस-पास की भूमि के औसत सतह से भवन का अन्तिम तल के टेरेस से तक की ऊँचाई से हैं।

आवेदन पत्र यथास्थिति निम्नलिखित सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा।

26— मानचित्रों के चार सेट नियत शुल्क अदा करने की रसीद सहित जमा किए जाएंगे।

27— जमा किये जाने वाले मानचित्रों में ‘की प्लान’, ‘साइट प्लान’ तलपट मानचित्र और ‘सर्विसेज प्लान’ भी शामिल होंगे।

28— समस्त मानचित्र अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा तैयार किए जाएंगे और उनके द्वारा नाम, अनुज्ञप्ति संख्या दर्शाते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे इसके अतिरिक्त भू-भवन स्वामी के हस्ताक्षर भी होंगे।

29— नगर पंचायत पथरदेवा के लाइसेंस प्राप्त ड्राफ्टमैन को भवन मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति 3000 वर्ग फुट तक होगी। 3000 वर्ग फुट से अधिक की भूमि पर मानचित्र प्रस्तुत करने की अनुमति कॉउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर से प्राप्त लाइसेंस आर्किटेक्ट को होगी।

30— भवन के प्लान और एलिवेशन तथा सेक्शन 1:100 से कम पैमाने पर नहीं होंगे, और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्शाए जाएंगे।

(क) समस्त तलों के तल मानचित्र सहित आच्छादित क्षेत्रफल, कमरो के आकार, जीने, रैम्प (लिफ्ट सहित)।

भवन के प्रत्येक भाग का उपयोग या अधिभोग—

1. मूलभूत सेवाओं के वास्तविक स्थान शौचालय, सिंक, बाथ, जल-प्रदाय, जल-निकास तथा मल-निस्तारण हेतु सोक पिट/सैप्टिक टैंक अथवा सीवर लाइन से कनेक्शन।
2. जल प्रवाहित शौचालय की वयवस्था।

सूचनाएं एवं दस्तावेज

3. पंजीकृत बैनामा की छायाप्रति।
4. इन्तखाब/खतौनी।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. आवेदक/आवेदिका की एक फोटो।
7. रु0 10/— का ई-स्टाम्प पेपर।
8. शमन मानचित्र हेतु निर्मित भवन का फोटोग्राफ।
9. बैनामें की छायाप्रति।
10. नजरी नक्शा जो सम्बन्धित लेखपाल के द्वारा जारी किया गया है।

नियम एवं शर्तें

11. रु० 100/— प्रति आवासीय भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जाएगा।
12. रु० 200/— प्रति व्यावसायिक भवन पर मानचित्र दाखिला शुल्क लिया जाएगा।
13. रु० 2/— प्रति वर्ग फुट शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाएगा।
14. रु० 4/— प्रति वर्ग फुट शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित पर लिया जाएगा।

नोट— मानचित्र स्वीकृत होने के उपरांत आवेदक/आवेदिका को तीन वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कर लेना होगा अथवा मानचित्र की अवधि समाप्त हो जाने पर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सेट-बैक

1. **आवासीय/व्यवसायिक भवन—** भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवनों में अधिकतम तीन मंजिल निर्माण अनुमत्य होगा जिसकी अधिकतम ऊँचाई स्टिल्ट के साथ 41 फुट तथा स्टिल्ट के बिना 34 फुट होगी एवं सैट-बैक निम्नवत होंगे—

भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्गफुट	सेट-बैक	
	अग्र भाग वर्गफुट	पृष्ठ भाग वर्गफुट
1500 तक	3	—
1501 से अधिक 3000 तक	5	3
3001 से अधिक 5000 तक	10	5

2. कोन के भू-खण्ड में सेट-बैक सम्बन्धित भूखण्ड के फ्रन्ट सैट-बैक के समान होगा।
3. भवनों में प्रकाश एवं संवातन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
4. सैट-बैक में छूट-खुले स्थान में छत/छज्जे का निर्माण किया जा सकता है, जो खुले स्थान की चौड़ाई के आधे से अधिक तथा अधिकतम 3 फुट होगा, परन्तु उक्त छत/छज्जे किसी प्रकार का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
5. 3000 से अधिक प्रस्तावित व्यवसायिक भवन हेतु स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी से अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
6. 1500 से अधिक 3000 तक के भवनों में पृष्ठ सैट-बैक के 40 प्रतिशत भाग पर निर्माण अनुमत्य होगा।
7. 5000 से अधिक तथा निम्न (संस्थागत/सामुदायिक, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक भवन, कार्यालय भवनों, भण्डारण भवनों, होटल, थोक व्यवसायिक भवनों, चिकित्सा भवनों, सेवा-उद्योग आदि) के मानचित्र की स्वीकृति विनियमित क्षेत्र देवरिया विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में निर्धारित मानको के अनुसार प्राधिकरण के अनुमति उपरांत दी जाएगी।
8. उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होगी। आराजी पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि से लगभग 300 मीटर दूरी पर स्थित होगी। पुरातात्विक क्षेत्र की परिधि 300 मीटर के भीतर के भूमि/भवनों को मानचित्र स्वीकृति करने हेतु स्थानीय पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अन्य आन्तरिक संरचनाएँ**जीना—**

1. आवासीय भवनों में आन्तरिक जीने की पैडी की चौड़ाई न्यूनतम 10" होगी। तथा अन्य भवनों में पैडी की चौड़ाई न्यूनतम 12" होगी।
2. आवासीय भवनों में एक उठान में अधिकतम 12 राइजर तक होंगे तथा अन्य भवनों में उनकी संख्या 15 तक हो सकेगी।

चहारदीवारी—

1. सामने की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी, जिसका न्यूनतम 3 फुट ऊपरी भाग जाली/ग्रिलयुक्त होगा।
2. पीछे की तथा पार्श्व की कम्पाउण्ड दीवारों की अधिकतम ऊँचाई 8 फुट होगी।
3. कोने के भूखण्ड में सड़क की तरफ की कम्पाउण्ड दीवार की ऊँचाई 6 फुट से अधिक नहीं होगी।
4. उक्त उपबन्ध सैनेटोरियम, कारखाना, कार्यालय, संस्थागत भवनों पर लागू नहीं होगी।

भू-गृह (बेसमेंट) —

1. बेसमेंट को रिहायसी उपयोग में नहीं लाया जायेगा तथा बेसमेंट में शौचालय या रसोई घर का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।
2. आन्तरिक खुले स्थल (कोर्टयार्ड) तथा शाफ्ट के नीचे बेसमेंट का निर्माण अनुमत्य होगा।
3. बेसमेंट का निर्माण बगल की संपत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी सुनिश्चित करते हुए भूखण्ड की सभी सीमाओं से न्यूनतम 6 फुट छोड़ने के बाद ही अनुमत्य होगा।

बेसमेंट का प्रयोजन निम्नानुसार होगा।

(क) घरेलू सामान, अज्वलनशील पदार्थ या अन्य सामान का भण्डारण।

(ख) आवासीय भवन से भिन्न भवनों में डार्करूम, कोषकक्ष, बैंक सेलर आदि।

(ग) वातानुकूलन उपकरण एवं अन्य मशीनें जो भवन की अनिवार्य सुरक्षा के लिए लगाई जाएं।

(घ) पार्किंग स्थल और गैराज।

(च) पुस्तकालयों के अज्वलनशील भण्डार कक्ष (स्टैकिंग रूम)।

1. बेसमेंट का प्रत्येक भाग, फर्श से बीम तक न्यूनतम 7 फुट तथा अधिकतम 15 फुट ऊँचा होगा।
2. बेसमेंट में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. बेसमेंट की सीलिंग संलग्न रोड लेवल से न्यूनतम 3 फुट तथा अधिकतम 4 फुट ऊपर होगी।
4. सतह का पानी बेसमेंट में प्रवेश न करने पाए इस हेतु व्यवस्था करनी होगी।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अपेक्षाएँ

जलरोध की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 3000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल के समस्त उपयोगों के भूखण्डों तथा सभी योजनाओं में छतों एवं खुले स्थानों से प्राप्त वाले बरसाती जल को उपयुक्त रिचार्जिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भूमिगत अथवा भूमि के ऊपर संग्रहण हेतु आवश्यक प्राविधान किया जायेगा।

सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र हेतु अपेक्षाएं— निम्न प्रकृति के किसी भी प्रस्तावित भवन निर्माण में पानी गर्म करने हेतु सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी—

1. अस्पताल तथा नर्सिंग होम।
2. होटल।
3. अतिथि गृह।
4. विश्राम गृह।
5. छात्रावास।
6. महाविद्यालय/प्राविधिक संस्थाएं/प्रशिक्षण केन्द्र।
7. सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक।
8. सामुदायिक केन्द्र, बैंक्वेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के अन्य भवन।
9. 5000 वर्ग फुट एवं अधिक क्षेत्रफल के आवसीय भवन।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों हेतु अपेक्षाएं— समस्त जनोपयोगी भवनों तथा सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं, सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु अवरोधमुक्त परिसर के सृजन के लिए प्राविधान सुनिश्चित किए जाएंगे।

भूकम्परोधी निर्माण हेतु अपेक्षाएं

1. भूतल सहित 3 मंजिला से अधिक अथवा 41 फुट से अधिक ऊँचाई के भवन तथा 5000 वर्ग फुट से अधिक भू-आच्छादन के सभी अवस्थापना सुविधाओं (यथा वाटर वर्क्स एवं ओवर हैंड टैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, ब्रिज एवं कल्वर्ट, विद्युत उत्पादन केन्द्र एवं विद्युत टावर, अस्पताल छविगृह, ऑडिटोरियम, सभा भवन, शैक्षिक संस्थाएँ, बस टर्मिनल आदि) पर भूकम्परोधी निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं लागू होगी।
2. भवन निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर के हस्ताक्षरयुक्त भवन की नींव एवं सुपरस्ट्रक्चर डिजाइन की पूर्ण गणनायें एवं स्ट्रक्चरल मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही भवन निर्माण हेतु नियम प्राधिकारी को जो मानचित्र प्रेषित किये जायेंगे, उन सभी मानचित्रों पर भू-स्वामी, पंजीकृति आर्किटेक्ट के साथ-साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन करने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियर तथा सर्विस डिजाइन तैयार करने वाले सर्विस इंजीनियर के पूरे नाम तथा मुहरयुक्त हस्ताक्षर से भूकम्परोधी डिजाइन होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

अपराधो का शमन उपविधि

1. मानचित्र में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार अवैध निर्माण दर्शाए जाएंगे 'फ्रन्ट', 'साइड' एवं पीछे के सेट बैक में अनाधिकृत निर्माण शमनीय होगा।
2. शमन शुल्क अवैध निर्माण के लिए निधारित शुल्क द्वारा लिया जाएगा।
3. रु0 10/- प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क आवासीय भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाएगा।
4. रु0 15/- प्रति वर्ग फुट शमन शुल्क व्यावसायिक भवन में आच्छादित क्षेत्रफल पर लिया जाएगा।

दण्ड

यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(ह0) अस्पष्ट,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत पथरदेवा,
देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी

अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण विलेखों पर कर सम्बन्धी नियमावली 2026

13 मई, 2026 ई०

सं०-73/न०प०पू०प०श०/कौशाम्बी/2026-27- उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128 (1) के उप-खण्ड 13-ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा कौशाम्बी की बोर्ड बैठक दिनांक 25.09.2025 के प्रस्ताव संख्या-114 के द्वारा अनुमोदन उपरान्त अपने सीमा के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण विलेखों पर कर उगाहने हेतु नियमावली बनायी गयी है। उक्त एक्ट की धारा-301 (2) के अन्तर्गत राजकीय गजट में प्रकाशित की जा रही है। उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से दो "दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला एवं सहज शक्ति" में दिनांक 30.04.2026 को प्रकाशित किया गया, आपत्तियों एवं सुझाव हेतु 07 दिवस का समय निश्चित किया गया। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। उक्त नियमावली सरकारी गजट उत्तर प्रदेश में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी—

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—

- 1— यह नियमावली नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा सीमान्तर्गत अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के लेख पर कर उगाहने से सम्बद्ध नियमावली कहलायेगी।
- 2— यह नगर में स्थित अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के समस्त लेखों पर प्रवृत्त होगी।
- 3— यह उपविधि उत्तर प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा में प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

- 1— "अधिनियम" का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू.पी. अधिनियम संख्या 2, 1916) से है।
- 2— "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा से है।
- 3— "शुल्क" का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 (एक्ट सं० 2, सन् 1899) के अधीन अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।
- 4— "इण्डियन स्टाम्प एक्ट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 से है।
- 5— "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी के अधिशासी अधिकारी से है।
- 6— "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उप धारा 1 के खण्ड (13-ख) के अधीन लगाये गये कर से है।

3. नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर इण्डियन स्टाम्प एक्ट द्वारा लगाया गया शुल्क हस्तान्तरित सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा भोग बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि पर 2 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा दिया जायेगा।

4. कर लगाने की प्रक्रिया उक्त वृद्धि के फलस्वरूप उगाही गयी समस्त धनराशि प्रारंभिक व्यय की वृद्धि कोई हो काट लेने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत को निम्नलिखित रीति से अदा की जायेगी।

1— जब कभी नगर के भीतर स्थित अचल के हस्तांतरण का कोई दस्तावेज निबंधन के लिये प्रस्तुत किये जाये तो निबंधन अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगा कि इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा-27 में निर्दिष्ट ब्योरे निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक-पृथक दिये गये हैं।

(क), नगर के भीतर सम्पत्ति और

(ख), नगर के बाहर स्थित सम्पत्ति

2— यदि ऐसे ब्योरे दस्तावेज में पृथक-पृथक न दिये गये हो तो निबंधन अधिकारी उसे कलेक्टर को अधिनियम की धारा-128 क की उप धारा 4, नगर पंचायत पर यथाप्रदत्त इण्डियन स्टाम्प एक्ट की धारा 64 के अधीन आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजेगा।

5. कर के लेखे रखना निबंधन अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज के सम्बन्ध में पृथक-पृथक लेखे रखेगा। जिसमें वह शुल्क और कर दिखायेगा।

6. निबंधन अधिकारी जो दीवानी न्यायालय द्वारा दिये गये विक्रय प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां प्राप्त करें और इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 (एक्ट सं० 16, 1908) की धारा 89 के अधीन उन्हें अपनी पुस्तक संख्या- 1 में नत्थी करें। राजस्व अधिकारीगण शुल्क और कर का उसी प्रकार लेखा रखेंगे।

7. निबंधन अधिकारी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में पृथक-पृथक तिमाही विवरण पत्र तैयार करेगा। जिससे वह शुल्क और कर के रूप में अपने द्वारा वसूल की गयी धनराशि दिखायेगा और उसे जिला निबंधक को उपर्युक्त प्रत्येक महीने के पांचवे दिनांक तक प्रस्तुत करेगा।

8. जिला निबंधक ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक महीने के दसवें दिनांक तक तिमाही विवरण-पत्रों की प्रतिलिपियां निम्नलिखित को भेजेगा—

1— निबंधन महा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2— अपर सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3— अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी।

4— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

9. (1)- नगर पंचायत की ओर से उगाही की गयी धराधि ऐसे प्रासंगिक व्यायों जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाये, काट लेने के बाद प्रत्येक तिमाही के अन्त में पालिकाओं को लौटा दी जायेगी। प्रतिदिन की धनराशि प्राप्त करने के लिये अधिशासी अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कनिष्ठ सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को फाइनेंशियल हैण्ड बुक खण्ड-5 भाग 1 के प्रपत्र संख्या 19 में 2 प्रतियों में एक बिल प्रस्तुत करेगा। कनिष्ठ सचिव द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् उसकी एक प्रतिलिपि अधिशासी अधिकारी को लौटा दी जायेगी, जो स्वीकृत बिल के प्रस्तुत किये जाने पर, स्थानीय कोषागार से प्रतिदान की धनराशि प्राप्त करेगा।

(2) पालिका निबंधन एवं स्टाम्प विभाग के कर्मचारी को ऐसे मासिक पारिश्रमिक का भुगतान करेगी, जो नगर पंचायत के परामर्श से राज्य सरकार निर्धारित करें।

10. अभिलेखों का निरीक्षण—अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी शुल्क का भुगतान किये बिना कर उगाही और नगर पंचायत को उसकी वापसी के सम्बन्ध में निबंधन कार्यालय के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है।

अंशुमान सिंह,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पंचायत पूरब-पश्चिम शरीरा, कौशाम्बी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रैय्यान अली पुत्र मकसूद अली है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7724 9566 9750 में उसका नाम रैमान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रैय्यान अली पुत्र मकसूद अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

इमराना बेगम पत्नी मकसूद अली,
निवासिनी— बिलासपुर काठगांव तहसील चायल,
जनपद कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवांश मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2648 7365 9984 में उसका नाम कुशल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवांश मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नन्दिता पत्नी दीपक मिश्रा,
निवासी— 170, मधवापुर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आरव पुत्र शिव प्रताप यादव है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3906 8027 2314 में मेरे पुत्र का नाम अर्पित कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आरव पुत्र शिव प्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

शिव प्रताप यादव पुत्र हीरा लाल यादव,
निवासी— ग्राम बजती पो0 नेवादा जंघई,
तहसील हंडिया जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विकास कुमार (VIKAS KUMAR) पुत्र रामसागर (RAMSAGAR) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5093 4611 2491 में उसका नाम रवी कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विकास कुमार (VIKAS KUMAR) पुत्र रामसागर (RAMSAGAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राम सागर पुत्र राम आसरे,
गांव—धौरहरा बांगर, बिहारवन चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दीप माला गुप्ता पुत्री श्री श्याम लाल गुप्ता है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5293 0238 6362 में मेरा नाम दीप माला अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीप माला गुप्ता पुत्री श्री श्याम लाल गुप्ता पत्नी श्री राजकुमार केशरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दीप माला गुप्ता, पुत्री श्री श्याम लाल गुप्ता,
पत्नी श्री राजकुमार केशरवानी,
निवासी—117ई/2एल0, विष्णापुरी कालोनी,
बम्हरोली, जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रेया यादव (Shreya Yadav) पुत्री कुलदीप यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5294 9860 4339 में उसका नाम (Shiyha Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रेया यादव (Shreya Yadav) पुत्री कुलदीप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

कुलदीप यादव पुत्र जगदीश,
पता- 243 खरहरा, जुगगोर, चिनहट जुगगोर,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम स्वरित शंकर (Swarit Shankar) है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2741 8600 0413 में उसका नाम बेबी ऑफ स्वाती (Baby of Swati) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वरित शंकर (Swarit Shankar) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राहुल कुमार पुत्र स्व0 गौरी शंकर प्रसाद,
निवासी- एल-1/112, विनय खंड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम उषा शुक्ला पुत्री तुलसी राम दुबे पत्नी अरूण

कुमार शुक्ला है जो मेरे बैंक पास बुक, परिवार रजिस्टर की नकल, गाड़ी की आर0सी0, पैन कार्ड, खतौनी एवं उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-3057 8077 4463 में मेरा नाम गुड्डी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम उषा शुक्ला पुत्री तुलसी राम दुबे पत्नी अरूण कुमार शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

उषा शुक्ला पुत्री तुलसी राम दूबे,
पत्नी अरूण शुक्ला,
निवासी- ग्राम अब्दुलपुर पोस्ट चौबेपुर मालों,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम हेमन्त सिंह पुत्र श्री हरिनारायण सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, मेरे आधार कार्ड सं0-3595 9228 4849 में मेरा नाम कृष्ण तारकेश्वर चन्द्र राय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम हेमन्त सिंह पुत्र श्री हरिनारायण सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

हेमन्त सिंह,
निवासी- ग्राम मैथार पो0 कोडराजीत,
थाना बाघराय तहसील कुण्डा,
जिला प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रिया यादव (Priya Yadav) पुत्री श्याम बहादुर यादव, है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3852 7887 8922 में उसका नाम आन्वी यादव अंकित हो गया

है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रिया यादव (Priya Yadav) पुत्री श्याम बहादुर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुनीता देवी पत्नी श्याम बहादुर यादव,
पता-ग्राम सुल्तानपुर पोस्ट मुतकल्लीपुर,
मुताकलीपुर अजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम स्नेह लता पत्नी राजेन्द्र कुमार है, जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, एवं श्रीमान उपजिलाधिकारी तहसील सदर जनपद प्रयागराज, की जॉच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4044 3366 5144 में मेरा नाम लता अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम स्नेह लता पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

स्नेह लता,
सदर बाजार आनन्द बाग न्यू कैन्ट,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम इडेन प्रजापति पुत्र उमेश कुमार है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार सं0 8618 0116 6761 में उसका नाम इडल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम इडेन प्रजापति पुत्र उमेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

उमेश कुमार पुत्र राज कुमार,
निवासी— ग्राम व पोस्ट करविगवाँ,
जिला कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिति पुत्री विनोद कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7913 5877 6757 में उसका नाम शगुन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिति पुत्री विनोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विनोद कुमार पुत्र रामसेवक,
निवासी—रूरगाँव शाहजहांपुर,
कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक शर्मा पुत्र शिव प्रकाश शर्मा है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-2618 9872 6364 में उसका नाम कृष्णा शर्मा अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक शर्मा पुत्र शिव प्रकाश शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शिव प्रकाश शर्मा,
पुत्र स्व0 श्याम सुंदर शर्मा,
निवासी— विरतियान मंधना कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य उपाध्याय पुत्र कौशलेन्द्र है। जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी एल0आई0सी0 पालिसी सं0-286259016 में मेरा नाम आयुष कुमार उपाध्याय अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदित्य उपाध्याय (Aditya Upadhyay) पुत्र कौशलेन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

आदित्य उपाध्याय पुत्र कौशलेन्द्र,
निवासी- पाकड़पुर माहुल खास,
आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंशिका शुक्ला पुत्री गणेश शंकर शुक्ला है। जो कि मेरे आधार कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पालिसी सं0-234780059 में मेरा नाम तनवी शुक्ला अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंशिका शुक्ला पुत्री गणेश शंकर शुक्ला के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अंशिका शुक्ला पुत्र गणेश शंकर शुक्ला,
निवासी- 119/204 ओम नगर दर्शनपुरवा,
गुमटी नं0 5 कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र कर सही नाम समर्थ चौधरी पुत्र मनीष चौधरी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4388 7342 1296 में उसका नाम

भूलवश समद चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समर्थ चौधरी पुत्र मनीष चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मनीष चौधरी पुत्र लक्ष्मी नरायन चौधरी,
निवासी-9/47 संत लाल का बगीचा,
ईदगाह लाल कॉलोनी बेनाझाबर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष भारतीया (AYUSH BHARTIYA) पुत्र आशीष भारतीया है जो कि उसकी शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधारकार्ड सं0 2100 3474 4703 में उसका नाम आर्युष कुमार (ARYUSH KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष भारतीया (AYUSH BHARTIYA) पुत्र आशीष भारतीया के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रीना देवी पत्नी आशीष भारतीया,
निवासिनी-म०नं0-2804/054/3पी, राजरूपपुर,
कालिन्दीपुरम, प्रयागराज।

NOTICE

It is hereby informed to the general public that the correct name of my son is Prince Verma (PRINCE VERMA) son of Devendra Verma, as recorded in his educational records and birth certificate.

Due to an inadvertent error his name has been mentioned as Rudra (RUDRA) in his Aadhaar Card bearing No- 2773 2751 3133, which is

incorrect. Henceforth. my son shall be known and identified by his correct name Prince Verma (PRINCE VERMA) son of Devendra Verma.

It is further certified that all legal formalities in respect of the above-mentioned correction have been duly completed by me.

Jyoti Verma W/o Devendra Verma
R/o House No- 503/121-39,
Baraulia Daliganj,
P.S. Hasanganj, Lucknow.

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम एकांश सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0 2065 6559 8883 में मेरा नाम आकांश सिंह में अंकित हो गया है। जोकि मेरा गलत नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम एकांश सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

एकांश सिंह पुत्र अनिरुद्ध,
निवासी— 32 एस0 ब्लॉक नगर,
किदवई नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रज्ञा मिश्रा पुत्री मनीष कुमार मिश्रा है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड संख्या 3009 8697 7060 में उसका नाम बेबी आफ ज्योति मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रज्ञा मिश्रा पुत्री मनीष कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उर्पयुक्त के सम्बन्ध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मनीष कुमार मिश्रा पुत्र श्री शिव नारायण मिश्र,
पता— ग्राम शेखपुर चौरास थाना महेशगंज,
तह० कुण्डा पो० डेरवा, जिला प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम परशुराम सिंह (Parashuram Singh) पुत्र रामअवतार सिंह जो मेरे निर्वाचन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 5741 9750 5769 में मेरा नाम परशुराम सिंह (Parshuram Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम परशुराम सिंह (Parashuram Singh) पुत्र रामअवतार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

परशुराम सिंह (Parashuram Singh),
पुत्र राम अवतार सिंह,
निवासी—ग्राम तियरी,
परगना व तहसील जमानियां, गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शुभ जायसवाल पुत्र विजय जायसवाल है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 4556 4472 2170 में उसका नाम वरुण जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शुभ जायसवाल पुत्र विजय जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय जायसवाल पुत्र राजेंद्र प्रसाद जायसवाल,
निवासी— ग्राम बिरवल पोस्ट नगरवार,
जसरा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षित यादव पुत्र नवीन कुमार है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 8354 9286 1016 में उसका नाम हर्ष कुमार हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षित यादव पुत्र स्वर्गीय नवीन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

श्रीमती रन्नो पत्नी स्वर्गीय नवीन कुमार,
निवासी—बन्तरिया बजाही कमलानगर,
फूलपुर, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सर्वेश यादव पुत्र बृजेश कुमार है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 5531 9828 4085 में उसका नाम सृजल यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सर्वेश यादव पुत्र बृजेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विद्वन पत्नी बृजेश कुमार
निवासी— ग्राम बरई का भीट (भीटी),
तहसील भीटी, अम्बेडकर नगर, उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवानी (SHIVANI) पुत्री संतोष कुमार है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9137 5422 0046 में मेरा नाम कु० रानी (Kr. RANI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिवानी (SHIVANI) पुत्री संतोष कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी

शिवानी पुत्री संतोष कुमार गुप्ता,
पता— सराय ममरेज, फूलपुर,
फूलपुर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्रांश पटेल (Rudransh Patel) पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 9585 4447 0981 में उसका नाम श्यामू अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्रांश पटेल (Rudransh Patel) पुत्र ज्ञानेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र राजकुमार सिंह
निवासी— रेहुटिया कर्वी, कर्वी चित्रकूट उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पंकी (Pinkee) पुत्री मुकेश कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—8776 7152 7544 में मेरा नाम पंकी (Pinki) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पंकी (Pinkee) पुत्री मुकेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पंकी (Pinkee) पुत्री मुकेश कुमार,
निवासी— ग्राम नगला बिहारी, करहल,
कुतुकपुर बुजुर्ग, मैनपुरी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवानी सोनी पुत्री मनोज कुमार सोनी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख व आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड में अंकित है। मैंने अपना स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपना नाम शिवानी सोनी से बदलकर वैष्णवी सोनी रख लिया है। भविष्य में मुझे वैष्णवी सोनी पुत्री मनोज कुमार सोनी पत्नी शुभम सोनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवानी सोनी पुत्री मनोज कुमार सोनी,
निवासिनी— 352 दनई गौड़ी प्रतापपुर,
खीरी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अर्नव सिंह पुत्र आशोक कुमार सिंह (ARNAV SINGH S/o ASHOK KUMAR SINGH) है जो मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—8130 3139 1612 में उसका नाम क्रिश् अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अर्नव सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशोक कुमार सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह,
निवासी— 176 कर्वी माफी कर्वी,
चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 लालती निषाद (KM LALATI NISHAD) पुत्री सुनेसर निषाद है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख निवास

प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4981 5247 9543 में मेरा नाम ललिता हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 लालती निषाद (KM LALATI NISHAD) पुत्री सुनेसर निषाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु0 लालती निषाद पुत्री सुनेसर निषाद,
निवासिनी— ग्राम गोनहा, पोस्ट मंसूरगंज खुर्द,
तहसील महाराजगंज, जिला महाराजगंज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शैबल लाहा पुत्र सतीश चन्द्र लाहा है। जो मेरे Secondary School Examination के अंकपत्र (अनुक्रमांक-45008182017), आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सर्विस बुक में मेरा नाम शैवाल कुमार लाहा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शैबल लाहा पुत्र स्व0 सतीश चन्द्र लाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शैबल लाहा पुत्र स्व0 सतीश चन्द्र लाहा,
पता— 33/72, खालीषपुरा, बंगाली टोला,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उज्जवल साहू (Ujjwal Sahu) पुत्र कृष्ण कुमार साहू है, जो उसके आधार कार्ड सं0— 4316 7667 2469 व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में उसका नाम उज्जवल Ujjawal अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उज्जवल साहू (Ujjwal Sahu) पुत्र कृष्ण कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कृष्ण कुमार साहू पुत्र श्री हरी शंकर साहू,
निवासी— 16/2 सरसैया घाट,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम खुशी मिश्रा पुत्री राम मनोहर मिश्रा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—2053 7287 0313 में मेरा नाम अंजलि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम खुशी मिश्रा पुत्री राम मनोहर मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

खुशी मिश्रा पुत्री राम मनोहर मिश्रा,
निवासी— ग्राम कुचमरवा पोस्ट कसया कला,
राबट्सगंज सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यादव उन्नत रोहित (YADAV UNNAT ROHIT) पुत्र रोहित यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—2526 3246 8060 में उसका नाम अभय यादव (ABHAY YADAV) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यादव उन्नत रोहित (YADAV UNNAT ROHIT) पुत्र रोहित यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रिंकू देवी पत्नी रोहित यादव,
डेल्हूपुर, केवटली, महाराजगंज,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश गुप्ता पुत्र बसंत कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—4606 8397 7797 में उसका नाम बाबु अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश गुप्ता पुत्र बसंत कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

बसंत कुमार पुत्र स्व० किशोरी लाल,
निवासी— जे०८/५७ डिगिया जैतपुरा, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रकृति अग्रवाल (PRAKRITI AGARWAL) पुत्री मनीष अग्रवाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—5867 7689 1636 में मेरा नाम प्रगति अग्रवाल (PRAGATI AGARWAL) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रकृति अग्रवाल (PRAKRITI AGARWAL) पुत्री मनीष अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रकृति अग्रवाल पुत्री मनीष अग्रवाल,
निवासी—106/171, गान्धी नगर लक्ष्मण पार्क,
कानपुर नगर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मुकुन्द निषाद पुत्र अशोक कुमार निषाद है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०—5120 2252 0666 में मेरा नाम मुकुल निषाद

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मुकुन्द निषाद पुत्र अशोक कुमार निषाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मुकुन्द निषाद, पुत्र अशोक कुमार निषाद,
निवासी— 260/10, पुरावल्दी कीडगंज,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति केशरी पुत्री विजय केशरी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8986 9980 0172 में उसका नाम शिक्षा केशरी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति केशरी (AAKRITI KESHARI) पुत्री विजय केशरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजय केशरी, पुत्र विहारी लाल केशरी,
निवासी— 275/327 कच्छवा रोड,
थाना वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शिवानी यादव (SHIVANI YADAV) पुत्री विनोद कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8571 9212 4919 में उसका नाम शिवांगी यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शिवानी यादव (SHIVANI YADAV) पुत्री विनोद कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार यादव पुत्र अमरनाथ यादव,
निवासी—भगवानपुर, अतरौलिया,
आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काव्या जादौन (Kavya Jadaun) पुत्र कपिल प्रताप सिंह हैं। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-3057 8860 6836 में उसका नाम लविष्का जादौन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम काव्या जादौन (Kavya Jadaun) पुत्र कपिल प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कपिल प्रताप सिंह, पुत्र गवेंद्र सिंह,
निवासी— पठान टोला पहासू नगर,
पहासू देहात पहासू बुलंदशहर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र धर्मात्मा प्रसाद मिश्रा है जो कि मेरे खतौनी, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर एवं बैंक पासबुक एवं उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4441 5482 3199 में मेरा नाम गिरिजा अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र धर्मात्मा प्रसाद मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र धर्मात्मा मिश्रा,
निवासी— कस्बा बांसी खांस मोहल्ला,
अशोक नगर, नगर पालिका परिषद बांसी,
पो0 बांसी, तहसील बांसी जिला सिद्धार्थ नगर,
उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम पूर्णिमा बिन्द (PURNIMA BIND) पुत्री श्याम ललित बिन्द (SHYAM LALIT BIND) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0—4252 0629 9284 में उसका नाम अंतिमा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पूर्णिमा बिन्द (PURNIMA BIND) पुत्री श्याम ललित बिन्द (SHYAM LALIT BIND) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

श्याम ललित बिन्द पुत्र रामफल,
निवासी— नेवटिया घाट रोड पोस्ट मेउली कुशहा,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो0 कारिद (MD. QARID) पुत्र बचऊ है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—3763 1494 2319 में मेरा नाम बब्बन (BABBAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो0 कारिद (MD. QARID) पुत्र बचऊ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो0 कारिद पुत्र बचऊ,
निवासी— मं0नं0—171/2, मेंहदैरी गांव,
गैस एजेन्सी के पास, तेलियरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुप्रिया सिंह पुत्री दिलीप कुमार सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—2805 5413 1403 में उसका नाम आरुषी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुप्रिया सिंह पुत्री दिलीप कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दिलीप कुमार सिंह पुत्र रामराज सिंह,
निवासी— ग्राम-भोगन पोस्ट बड़ोखर,
तहसील—कोरांव, जिला प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निर्भय अग्रहरी पुत्र ज्ञानचन्द है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4225 4174 0450 में मेरा नाम निखिल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निर्भय अग्रहरी पुत्र ज्ञानचन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

निर्भय अग्रहरी पुत्र ज्ञानचन्द,
निवासी— ग्राम पौड़ी रामपुर पोस्ट तीता थाना,
हलिया जिला मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे0 सक्षम इंडस्ट्रीज, 13ए/1, चम्पा दूबे भवन, पी0डी0 टण्डन रोड, सिविल लाईन्स, प्रयागराज के भागीदार अमित कुमार मौर्या एवं अरविन्द कुमार मिश्रा दिनांक 06 मई, 2026 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं। अब फर्म में भागीदारों की भागीदारी का अनुपात क्रमशः प्रदीप कुमार सिंह चौहान का 34 प्रतिशत, अर्जुन सिंह का 33 प्रतिशत, अमित प्रताप कुशवाहा का 33 प्रतिशत होगा। फर्म से अलग हुए भागीदार अमित कुमार मौर्या एवं अरविन्द कुमार मिश्रा का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

प्रदीप कुमार सिंह चौहान,

भागीदार,

सक्षम इंडस्ट्रीज, 13ए/1, चम्पा दूबे भवन,

पी0डी0 टण्डन रोड, सिविल लाईन्स, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अयांश केशरवानी (Ayansh Kesharwani) पुत्र अभिषेक कुमार केशरवानी है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7046 3372 4509 में उसका नाम Om अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अयांश केशरवानी (Ayansh Kesharwani) पुत्र अभिषेक कुमार केशरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अभिषेक कुमार केशरवानी,

पुत्र रामदास केशरवानी,

निवासी- गौहनिया प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अविनाश मिश्र (Avinash Mishra) पुत्र

नीरज कुमार मिश्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9796 6938 1761 में उसका नाम Abhinash Mishra अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अविनाश मिश्र (Avinash Mishra) पुत्र नीरज कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नीरज कुमार मिश्र पुत्र सुधाकर चंद्र मिश्र,

निवासी- ग्राम व पोस्ट खानपुर मल्लोह,

थाना विशेश्वरगंज रानियापुर गोबरही,

बहराइच, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रानी पत्नी जगमोहन है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0-233786168 में मेरा नाम राज श्रीदेवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रानी पत्नी जगमोहन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रानी पत्नी जगमोहन,

निवासिनी- 176 सेनामोट वी0टी0सी0,

साइना झॉसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 सुधा कपिला, 77 सी कृष्णा नगर मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार बलजीत कौर पत्नी श्री हाकिम सिंह, अंश कपिला पुत्र स्व0 संजीव कुमार कपिला, गोपाल सिंह पुत्र स्व0 केसरी, रनवीर पुत्र राजेन्द्र, कृष्ण कान्त पुत्र जवाहर लाल, स्वाती कापिला पत्नी मोहित धीर सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को संचालन की थी।

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से कार्तिक अरोरा पुत्र संजय अरोरा नये साझेदार के रूप में शामिल हो गये हैं दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से गोपाल सिंह पुत्र स्व0 केसरी, रनवीर पुत्र राजेन्द्र, स्वाती कपिला पत्नी मोहित धीर अपनी स्वेच्छा से फर्म से अलग हो गये हैं। फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नहीं है। अब फर्म को बलजीत कौर, अंश कपिला, कृष्ण कान्त, कार्तिक अरोरा संचालित करेंगे।

बलजीत कौर,
साझेदार,
मे0 सुधा कपिला, 77 सी कृष्णा नगर मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स SUNVILLE INFRATECH, A-36 Sector-8, Noida, Gautam Buddha Nagar की साझेदारी में Mrs. Anjul Gupta और Saroj Proprietor of M/S Hitech Business साझेदार थे। दिनांक 29 अप्रैल, 2022 से Saroj Proprietor of M/S Hitech Business साझेदारी फर्म से अपना हिसाब किताब ले व देकर अलग हो गयी है तथा दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को Mrs. Shilpa Gupta फर्म की साझेदारी से सम्मिलित हो गई है। इसके अतिरिक्त दिनांक 25 फरवरी, 2026 से Mrs. Anjul Gupta साझेदारी फर्म से अपना हिसाब किताब ले व दे कर अलग हो गई है। तथा दिनांक 25 फरवरी, 2026 को Mrs. Nancy Gupta फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हो गई है। वर्तमान उक्त फर्म में Mrs. Shilpa Gupta और Mrs. Nancy Gupta साझेदार हैं। फर्म से अलग हुये साझेदारों का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

Mrs. Shilpa Gupta,
मेसर्स SUNVILLE INFRATECH,
A-36 Sector-8, Noida,
Gautam Buddha Nagar, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है M/S ROYAL RECYCLING INDUSTRIES. GATA NO-114 & 115 CHANDPUR KHURD

MUNDAKHERA ROAD KHURJA DISTT-BULANDSHAHAH की साझेदारी में Rihana Parveen व Mr Saeed Khan व Mr. Mohd. Yamin जी साझेदार थे। दिनांक 25 जुलाई, 2024 से Mr Saeed Khan व Mr. Mohd. Yamin साझेदारी फर्म से अपना हिसाब किताब लेकर व देकर अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं, तथा Smt. Sahana साझेदारी फर्म में सम्मिलित हो गयी है। वर्तमान में उक्त फर्म में Rihana Parveen व Smt. Sahana फर्म के साझेदार हैं। फर्म से अलग हुये साझेदारों का फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन देन तथा दायित्व शेष नहीं है।

Rihana Parveen,
साझेदार,

M/s ROYAL RECYCLING INDUSTRIES,
GATA NO-114 & 115 CHANDPUR
KHURD MUNDAKHERA ROAD,
KHURJA, DISTT- BULANDSHAHAH

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s SHRI KRISHNA CONTRACTORS, Property No-104, Block-A, Baran Apartment, Ganga Nagar, Bulandshahr UP की संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 18 मई, 2021 के अनुसार श्री प्रदीप शर्मा एवं श्रीमती प्रवेश शर्मा साझेदारी थे। संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 10 मार्च, 2026 के अनुसार श्रीमती ममता शर्मा फर्म की साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं। तथा श्री प्रदीप शर्मा अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। संशोधित साझेदारीनामा दिनांक 10 मार्च, 2026 के अनुसार श्रीमती प्रवेश शर्मा एवं श्रीमती ममता शर्मा साझेदार हैं।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रवेश शर्मा,
साझेदार,

M/s SHRI KRISHNA CONTRACTORS,
Property No-104, Block-A, Baran Apartment,
Ganga Nagar, Bulandshahr, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है M/s SHRI VENKATESWARA UDHYOG, 6 Rama Enclave Virat Farm House, Bulandshahr, U.P.-203001 की साझीदारीनामा दिनांक 17 फरवरी, 2020 के अनुसार श्रीमती रूपाली गुप्ता धर्मपत्नी श्री मनीष गुप्ता व श्रीमती आंचल गर्ग धर्मपत्नी श्री सौरभ गर्ग व श्रीमती मोहिनी सक्सैना धर्मपत्नी श्री हनी गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 12 मई, 2026 को संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्री मितुल कुमार गर्ग पुत्र श्री भागवत प्रसाद गर्ग साझीदारी में सम्मिलित हुए हैं तथा श्रीमती रूपाली गुप्ता व श्रीमती मोहिनी सक्सैना फर्म से अपना अपना हिस्सा किताब लेकर अलग हो गई हैं। 12 मई, 2026 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार श्रीमती आंचल गर्ग एवं श्री मितुल कुमार गर्ग फर्म के साझीदार हैं। तथा दिनांक 12 मई, 2026 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म के कार्यालय का पता— परिवर्तन कर पता— 6 Rama Enclave Virat Farm House, Bulandshahr, किया गया है, एवं साझीदारी श्रीमती आंचल गर्ग का निवास पता— 8, रामा एन्क्लेव, बुलन्दशहर, उ0प्र0। हो गया है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आंचल गर्ग,
साझीदार,

M/s SHRI VENKATESWARA UDHYOG,
6 Rama Enclave Virat Farm House,
Bulandshahr, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व असवाल (ATHARV ASWAL) पुत्र सूरज प्रकाश जोशवाल (SURAJ PRAKASH JOSHVAL) है। जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेख में उसका नाम अथर्व जोशवाल (ATHARV JOSHVAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

भविष्य में मेरे पुत्र को अथर्व असवाल (ATHARV ASWAL) पुत्र सूरज प्रकाश जोशवाल (SURAJ PRAKASH JOSHVAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सूरज प्रकाश जोशवाल,
पुत्र सुदामा लाल जोशवाल,
निवासी— 2003, टॉवर 9, ला रेसिडेंसिया,
टेकजोन- 4 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स MAKERS,S,D-1-A TRANSPORT NAGAR KANPUR ROAD LUCKNOW से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार— श्री गुरविन्दर सिंह एवं श्री संदीप अग्रवाल, साझेदार हैं। दिनांक 28 मई, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें फर्म पता—परिवर्तन हो कर नया पता—SECOND FLOOR GYAN GANGA MARKET, HABIBULLAH ESTATE LUCKNOW हो गया है। वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः श्री गुरविन्दर सिंह एवं श्री संदीप अग्रवाल साझेदार हैं।

गुरविन्दर सिंह,
साझेदार,
मेसर्स MAKERS,S,
D-1-A TRANSPORT NAGAR,
KANPUR ROAD LUCKNOW.

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स इलैक्ट्रिक इम्पोरियम पता— नाका हिन्दोला नियर जैन बुक डिपो, जिला-लखनऊ, से पंजीकृत है। यह कि 4 साझेदार— श्री शरद चन्द्र रस्तोगी, श्री विपुल रस्तोगी, श्री तुषार रस्तोगी एवं ऋषि रस्तोगी साझेदार थे। दिनांक 10 सितम्बर, 2025 को श्री शरद चन्द्र रस्तोगी का निधन

हो गया है। दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें 03 साझेदार क्रमशः श्री विपुल रस्तोगी श्री तुषार रस्तोगी एवं श्री ऋषि रस्तोगी साझेदार हैं।

विपुल रस्तोगी,
साझेदार,
मेसर्स इलैक्ट्रिक इम्पोरियम।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स अहम इंटरप्राइजेज, मोहल्ला परा, फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0-243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0002874) का वास्तविक साझेदार है फर्म मेसर्स अहम इंटरप्राइजेज, मोहल्ला परा फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0 243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0002874) फर्म में 03 साझेदार— मुलायम सिंह, विजय कुमार एवं पूनम लता थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 18 मई, 2026 को फर्म में दो नये साझेदार शबनम खान एवं चमनदार खॉ शामिल किये गये हैं, तथा फर्म से दो साझेदार मुलायम सिंह एवं विजय कुमार स्वेच्छा से दिनांक 18 मई, 2026 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है। साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन—देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 03 साझेदार पूनम लता, शबनम खान एवं चमनदार खॉ हैं।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पूनम लता,
साझेदार,
मेसर्स अहम इंटरप्राइजेज, बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री जी इंटरप्राइजेज, मोहल्ला ऊँचा, फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0 243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0012873) का

वास्तविक साझेदार है। फर्म मेसर्स श्री जी इंटरप्राइजेज, मोहल्ला ऊँचा, फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0 243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0012873) फर्म में 02 साझेदार— उर्मिला सिंह एवं सुखलाल थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 18 मई, 2026 को फर्म में दो नये साझेदार मो0 फैजल रजा खान एवं नसीर खॉ शामिल किये गये हैं, तथा फर्म से एक साझेदार सुखलाल स्वेच्छा से दिनांक 18 मई, 2026 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब—किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन—देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 03 साझेदार अर्मिला सिंह, मो0 फैजल रजा खान एवं नसीर खॉ हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

उर्मिला सिंह,
साझेदार,
मेसर्स श्री जी इंटरप्राइजेज,
बरेली उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जय मॉ गंगे इंटरप्राइजेज, मोहल्ला परा, फरीदपुर जिला बरेली यू0पी0 243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0007203) का वास्तविक साझेदार है। फर्म में 03 साझेदार सुधांशु शेखर, विजय कुमार एवं असलम खॉ थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 18 मई, 2026 को फर्म में एक नये साझेदार शबनम खान शामिल किये गये हैं, तथा फर्म से एक साझेदार असलम खॉ स्वेच्छा से दिनांक 18 मई, 2026 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब—किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन—देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 03 साझेदार सुधांशु शेखर, विजय कुमार, शबनम खान हैं।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुधांशु शेखर,
साझेदार,
मेसर्स जय माँ गंगे इंटरप्राइजेज,
बरेली, यू0पी0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म-मेसर्स जय बाबा महाकाल इंटरप्राइजेज, ग्राम कुईया उगनपुर, पोस्ट पचौमी, तहसील फरीदपुर जिला बरेली, उ0प्र0 पिन कोड-243503 (पंजीकरण संख्या : BAR/0004435) का वास्तविक साझेदार है। फर्म में कुल 4 साझेदार राजेश्वर, सुप्रिया शर्मा, रहीस खाँ व मोहम्मद हाशिम थे। साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 को फर्म में नया साझेदार आकाश कुमार को शामिल किया गया है। तीन साझेदार राजेश्वर, मोहम्मद हाशिम व रहीस खाँ ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 24 अप्रैल, 2026 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदारों का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, साझेदारों का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदारों पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल दो साझेदार सुप्रिया शर्मा व आकाश कुमार है। फर्म के पुराने पते ग्राम कुईया उगनपुर पोस्ट पचौमी तहसील फरीदपुर जिला बरेली, उ0प्र0, पिनकोड- 243503 को परिवर्तित कर नया पता- मोहल्ला मिर्धान, बीसलपुर रोड, बकैनिया मोड, तहसील व डाकखाना फरीदपुर, जिला बरेली, उ0प्र0।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुप्रिया शर्मा,
साझेदार,
मेसर्स जय बाबा महाकाल इंटरप्राइजेज,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म-मेसर्स रुद्र इंटरप्राइजेज गुलमर्ग कालोनी चिनौर शाहजहाँपुर यू0पी0 242001 (पंजीकरण संख्या : SHA/0018792) फर्म में 02 साझेदार-पूजा गुप्ता व वरुण दीक्षित थे, साझेदारों की रजामंदी से दिनांक 28 अप्रैल, 2026 को फर्म में एक नये साझेदार साजिद खान शामिल किये गये हैं। एक साझेदार वरुण दीक्षित ने अपनी स्वेच्छा से 28 अप्रैल, 2026 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये हैं। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब चुकता हो गया है अब फर्म में कुल 02 साझेदार पूजा गुप्ता व साजिद खान है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पूजा गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स रुद्र इंटरप्राइजेज,
गुलमर्ग कालोनी चिनौर शाहजहाँपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेरा सही नाम नेहा चौहान (NEHA CHAUHAN) पुत्री राजेश चौहान है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2934 8282 2085 में मेरा नाम कुमारी मोहिनी (KUMARI MOHANI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नेहा चौहान पुत्री राजेश चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नेहा चौहान पुत्री राजेश चौहान,
निवासिनी- गाहासाड सहजनवाँ,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेरा सही नाम कु० नम्रता शुक्ला (Km Namrata Shukla) पुत्री शिव कुमार शुक्ला है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 4639 6695 4554 में मेरा नाम नम्रता मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० नम्रता शुक्ला पुत्री शिव कुमार शुक्ला पत्नी गौरव मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० नम्रता शुक्ला,
पुत्री शिव कुमार शुक्ला, पत्नी गौरव मिश्रा,
निवासी— 7बी/7 नया बैहराना सदर,
जनपद प्रयागराज, उ०प्र०।

NOTICE

It is informed to the general public that my name in my educational certificates/records is MANOJ KUMAR S/o Shri JEEWAN LAL whereas in my Aadhar card, Voter ID Card, PAN Card, Bank account and Driving license etc. All the records my name is MANOJ KUMAR PANDIT S/o JEEWAN LAL PANDIT. All my family members and other acquaintances also know me by name of Manoj Kumar Pandit. Both the above name are mine.

Therefore, in future I should be known and identified by the name of MANOJ KUMAR PANDIT S/o Shri JEEWAN LAL PANDIT only.

Manoj Kumar Pandit,
S/o Shri Jeevan Lal Pandit,
Resident-2/2390, Gill Colony,
Saharanpur, Uttar Pradesh.